Saturday, 03 December, 1966

लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On
Parliament Library

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

[खंड 61 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LXI contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 23, शनिवार, 3 दिसम्बर, 1966/14 अग्रहायण, 1888 (शक)

No. 23-Saturday, December 3, 1966/Agrahayan 14, 1888 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अल्प सूचना प्रश्नों के बारे में	**Re : Short Notice Questions**	**2961**
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling attention to Matter of Urgent Public Importance	2961
अनाज के वहन पर प्रतिबन्ध तथा आन्ध्र प्रदेश में राशन की मात्रा में कमी	Restriction on movement of foodgrains and decrease of quantum of ration in Andhra Pradesh	2961
श्री रंगा	Shri Ranga	2962
श्री चि० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramanayam	
प्रश्न के मौखिक उत्तर	**Oral Answer to Question**	**2963**
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या 7	Short Notice Question No. 7	2964
प्रश्न का लिखित उत्तर	**Written Answer to Question**	
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या 6	Short Notice Question Go. 6	
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention Notice (Query)	2966
श्री मधु लिमये के विरूद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege Against Shri Madhu Limaye	2968—73
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	2973
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति कार्यवाही सारांश	Committee on Subordinate Legislation Minutes	2974
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	2975
सदस्य का त्यागपत्र (श्री लक्ष्मी दास)	Resignation by Member (Shri Laxmi Dass)	2975
अधीनस्थ विज्ञान सम्बन्धी समिति छठा प्रतिवेदन	Committee on Subordinate Legislation Sixth Report	2975
प्राकल्लन समिति	Estimates Committee	
एक सौ आठवां प्रतिवेदन	Hundred and eighth Report	2976
भारतीय टैरिफ (वित्तीय संशोधन) विधेयक	Indian Tariff (Second Amendment) Bill	2976
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	2976
श्री मनुभाई शाह	Shri Manubhai Shah	2976

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री श्यामलाल सर्राफ	Shri Sham Lal Saraf	2976—77
श्री रंगा	Shri Ranga	2977
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	2977—78
श्री शिवमूर्ति स्वामी	Shri Sivamurthi Swamy	2978
श्री हु० च० लिंग रेड्डी	Shri H. C. Linga Reddy	2978—79
श्री सोय	Shri H. C. Soy	2979
श्री व० ब० गांधी	Shri Y. B. Gandhi	2980
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	2980
श्री सोनावने	Shri Sonavene	2980--81
श्री वासप्पा	Shri C. R. Pasappa	2981
खण्ड 2 तथा 1	Clauses 2 and 1	2982
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	2982
श्री श्यामलाल सर्राफ	Shri Sham Lal Saraf	2982
श्री मनुभाई शाह	Shri Manubhai Shah	2982
भारतीय टैरिफ अधिनियम के अन्तर्गत सांविधिक संकल्प स्वीकृत	Statutory Resolution under Indian Tariff Act—adopted	2982
श्री मनुभाई शाह	Shri Manubhai Shah	2982
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	2982—83
श्रीमती सावित्री निगम	Shrimati Savitri Nigam	2983
श्री सोनावने	Shri Sonavane	2983
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulsidas Jadhav	2983
श्री दे०द० पुरी०	Shri D. D. Puri	2983
संविधान (तेईसवां संशोधन) विधेयक	Constitution (Twente-third Amendment) Bill	2985
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	2985
श्री गोपाल स्वरूप पाठक	Shri G. S. Pathak	2985
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai	2989
श्री जोकीम आल्वा	Shri Joachim Alva	2990—91
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	2991
डा० लक्ष्मी मल्ल	Dr. L. M. Singhvi	2991
श्री गो० ना० दीक्षित	Shri G. N. Dixit	2992—94
श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee	2994—95
श्री नरेन्द्रसिंह मडीहा	Shri Narendra Singh Mahida	2995
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	2995—96
श्री अ० भा० विद्यालंकार	Shri A. N. Vidyalankar	2996
श्री बडे	Shri Bade	2996—97
श्री कृ० चं० शर्मा	Shri K. C. Sharma	2997—98

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	2998
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	2999
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	2999
खण्ड 2 तथा 1	Clause 2 and 1	3000—01
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass, as amended.	3001
श्री नाथ	Shri Nath Pai	3001
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	3002
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav	3002
श्री बड़े	Shri Bade	3002
श्री गोपाल स्वरूप पाठक	Shri G. S. Pattak	2999
गोश्रा, दमण और दीव की मंत्रि-परिषद द्वारा दिये गये त्यागपत्र तथा राष्ट्रपति विधान सभा के विघटन के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Resignation of Ministers of Goa, Daman and Diu, dissolution of Legislative Assembly and Presidential Order thereon	3002
कच्ची रूई के सम्भरण की स्थिति के बारे में विवरक	Statement Re. Raw Cotton Supply Situation	2992
श्री मनुभाई शाह	Shri Manubhai Shah	2992
चिकित्सा और स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ विधेयक	Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Bill	3003
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider, as passed by Rajya Sabha	3003
श्री ब० सू० मूर्ति	Shri B. S. Murthy	3003
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	
श्री बडे	Shri Bade	
डा० चन्द्रभानु सिंह	Dr. Chandra Bhan Singh	3003—04
श्री श्र० ना० विद्यालंकार	Shri A. N. Vidyalankar	3004—05
श्री० व० ब० गांधी	Shri V. B. Gandhi	3005
श्री दे० द० पुरी	Shri D. D. Puri	3005—06
डा० मेलकोटे	Dr. Melkote	3006—07
श्री बाल्मीकी	Shri Balmiki	3007
अध्यापकों के वेतन क्रमों के बारे में आधे घण्टे की चर्चा	Half-an-hour discussion Re. Pay Scales of Teachers	3007
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	3007

लोक-सभा
LOK SABHA

शनिवार, 3 दिसम्बर 1966/12 अग्रहायण, 1888 (शक)

Saturday, December 3, 1966/Agrahayan 12, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

अल्प सूचना प्रश्नों के बारे में
RE. SHORT NOTICE QUESTIONS,

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न। श्री मधु लिमये........ अनुपस्थित ; डा० लोहिया........ अनुपस्थित। ध्यान दिलाने वाली सूचना—प्रो० रंगा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्री मान्, मैं तो यहां हूं।

एक माननीय सदस्य : एक अन्य अल्प सूचना प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है। श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्री मान्, मंत्री महोदय यहां नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय नहीं हैं, तो मैं इसे मंत्री महोदय के आने पर लूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : फिर तो आपको श्री मधु लिमये को भी अनुमति देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी : वे भी तो मंत्री महोदय की तरह अनुपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अनाज के वहन पर प्रतिबन्ध तथा आन्ध्र प्रदेश में राशन की मात्रा में कमी

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर खाद्य,

कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ और निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :---

"निजी एवं परिवार के उपभोग के लिये अनाज के वहन पर बैल्ट क्षेत्र प्रतिबन्ध तथा आन्ध्र प्रदेश में राशन की मात्रा में कमी।"

मैंने जो नोटिस दिया था उसमें मैंने चित्तूर जिले में हो रहे सत्याग्रह का उल्लेख किया था परन्तु मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में उस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : वहन नियन्त्रण सम्बन्धी आदेशों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिये, सीमावर्ती क्षेत्र में, जिसे 8 किलोमीटर (5 मील) क्षेत्र को आम तौर से बैल्ट कहा जाता है, अनाज के वहन पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। इस बैल्ट में अनाज का वहन वर्जित है। तथापि, वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिए छूट की व्यवस्था भी की गई है।

अन्तर्राज्यीय सीमा पर वहन करने के लिये निष्कपट यात्रियों को एक सीमित मात्रा तक अर्थात् 1 किलोग्राम तक, सामान के रूप में अनाज ले जाने की आज्ञा है। ऐसा व्यक्ति भी जिसकी कोई अपनी भूमि हो, अथवा जिसने किसी भूमि पर अपने घरेलू उपभोग के लिये कुछ उत्पादन किया हो, उस उत्पादन को या उसके विभाग को परमिट से ले जा सकता है। इस समय आन्ध्र प्रदेश में चावल तथा धान के आयात तथा निर्यात पर प्रतिबन्ध है। गेहूं के वहन के लिये आन्ध्र प्रदेश तीन दक्षिण राज्यों अर्थात् मैसूर, मद्रास तथा केरल के जोन में ही है। आन्ध्र प्रदेश से ज्वार, बाजरा, चना, रागी आदि मोटे अनाज के बाहर ले जाये जाने पर भी प्रतिबन्ध है। इन सब आदेशों में भी छूट की व्यवस्था है।

जिन क्षेत्रों में कानूनी तौर से राशन है वहां राशन की मात्रा में कटौती करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है। जिन क्षेत्रों में अनौपचारिक तौर से राशन है वहां अनाज की उपलब्धि और मांग के अनुसार मात्रा में परिवर्तन किया गया है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि वहां पर राशन में कमी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री रंगा : मैंने इस बारे में एक सप्ताह पूर्व नोटिस दिया था। अतः मंत्री महोदय चित्तूर जिले से पलमानेट में 18 नवम्बर से हो रहे सत्याग्रह के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार से नवीनतम स्थिति की जानकारी ले सकते थे। परन्तु उन्होंने उस बारे में अपने वक्तव्य में कोई उल्लेख नहीं किया है। वास्तविकता यह है कि 25 किलोग्राम अनाज के वहन की अनुमति है परन्तु मंत्री महोदय ने 20 किलोग्राम कहा है। इसमें ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार इसे घटा कर 20 किलोग्राम करना चाहती है। दूसरी बात यह है कि वक्तव्य में कहा गया है कि सीमावर्ती क्षेत्र में गांवों से अनाज का वहन हो सकता है जबकि वास्तविकता यह है कि बैल्ट क्षेत्र में एक गांव से दूसरे गांव में अनाज के लाने, ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। उस क्षेत्र से बाजार में अनाज ले जाने की अनुमति भी नहीं है। कहा यह जाता है कि उस क्षेत्र से बाजार में अनाज ले जाने की अनुमति दी जाती है परन्तु जहां तक उस क्षेत्र में अनाज ले जाने का सम्बन्ध है उस बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

हमेशा उत्पादकों की बात की जाती है परन्तु उन कृषि श्रमिकों तथा गैर-काश्तकारों का क्या होगा जो कुछ उत्पादन नहीं करते है और जिन्हें उस क्षेत्र में कुछ भी आयात करने का

अनुमति नहीं दी जाती है और वे उस क्षेत्र से कुछ भी बाहर नहीं भेज सकते हैं। वे लोग भूखे मर रहे हैं और यही कारण है कि सत्याग्रह आन्दोलन चल रहा है।

अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन्हें बाहर से अनाज मंगाने की अनुमति देने को तैयार हो जायेगी ?

श्री गोविन्द मेनन : कोई नये आदेश नहीं दिये गये हैं। कुछ समय से आयात होना रहा है और यदि ऐसी कठिनाइयां हैं जिनका उल्लेख प्रो० रंगा ने किया है तो मैं अवश्य ही आन्ध्र प्रदेश सरकार से बातचीत करुंगा।

श्री रंगा : मैं पहले भी आपको लिख चुका हूं और आपने कुछ नहीं किया है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*अल्प सूचना प्रश्न संख्या 6 के बारे में

*RE : SHORT NOTICE QUESTION NO. 6

अध्यक्ष महोदय : अब हम अल्प सूचना प्रश्न संख्या 7 लेंगे।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I have a submission to make.

Mr. Speaker : All right, state it.

Shri Madhu Limaye : I am sorry for being late, which in fact was due to incorrect time by my watch. I will appeal to you to kindly allow me to put my question.

Mr. Speaker : If you come late on account of your watch, I or the House or the Minister can not be blamed for it. A Member who does not come in time will have to suffer, if the Minister does not come in time and I leave the question the Member giving notice of the question suffers and not the Minister. If the Minister was to suffer, I would have not allowed the Member.

Shri Bagri : If you think that the Member will suffer if the question is not allowed, you may allow the Member, Minister is at fault and the Member has made the shield.

Shri Madhu Limaye : I have already said that I am sorry for my mistake.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को सभा से खेद प्रकट करना चाहिए।

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : मुझे अफसोस है मैं नेपाल के मंत्री महोदय के पास रुक गया था। मैंने समझा कि मेरा प्रश्न दूसरे नम्बर है। मैं जल्दी करने की कोशिश कर रहा था, फिर भी पांच मिनट देरी हो ही गई।

---

*अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचना के बाद 11.08 बजे लिया गया।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 7
निर्यात-उपदान

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यात उद्योगों को उपदान प्राप्त दरों पर कच्चा माल उपलब्ध करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह उपदान किस रूप में होगा ;

(ग) क्या कमियों को दूर करने के लिए प्रक्रिया को स्पष्ट बनाने का भी विचार है ;

(घ) क्या यह सच है कि इस मामले की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई थी और इस बीच समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) तथा (ङ) : इस मामले पर विचार करने के लिये एक अनौपचारिक अन्तः मन्त्रालय समिति गठित की गई थी और उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि बढ़ी हुई कीमतों के कारण निर्यात उद्योग को कठिनाई हो रही है और क्या सरकार निर्यात पर प्रभाव डालने वाली कीमतों को स्थिर बनाने की आवश्यकता पर विचार कर रहा है ? अवमूल्यन के पश्चात् निर्यात बढ़ाना बहुत आवश्यक हो गया है । यह निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ? क्या निर्यात उद्योगों की लागत को सुव्यवस्थित और सुनियंत्रित किये जाने की सम्भावना है ?

(श्री मनुभाई शाह) : योजना यह है कि हम एक अवस्था पर सहायता देते हैं न कि अनेक अवस्थाओं पर । इसलिये कच्चे माल की ऊंची कीमतों का, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, प्रभाव उत्पादन लागत में आ जाता है और यदि यह देखा जाता है कि अन्त में लागत अधिक है तो उस अवस्था पर हम नकद सहायता देने की कोशिश करते हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या इस बीच उद्योग को पहले ही दी जा रही नकद राज सहायता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है अथवा यह वृद्धि छूट के रूप में दी जायेगी ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक छूट का सम्बन्ध है, यह तो सीमा शुल्क और आयात की कानूनी वापसी है । कानून में व्यवस्था है और छूट दी जाती है । मैंने 16 अगस्त को नकद सहायता का विवरण सभा-पटल पर रखा था । उसके अतिरिक्त और कोई नकद सहायता देने का विचार नहीं है ।

श्री स॰ मो॰ बनर्जी : क्या विदेशों से आयात किये गये कच्चे माल के आधार पर निर्यात करने वाले कुछ उद्योगों ने अवमूल्यन के पश्चात् कुछ रियायतें मांगी है और यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और सरकार ने उन्हें कहां तक पूरा किया है।

श्री मनुभाई शाह : उनकी मुख्य मांग थी कि सबसे सस्ते और अच्छे स्रोत से आयातित कच्चे माल का आयात सुनिश्चित किया जाये। यह मांग मान ली गई है और अवमूल्यन के पश्चात् "लाल पुस्तक" में पंजीकृत निर्यातक आयात नीति नाम से एक नई आयात नीति की घोषणा की गई है।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : क्या यह सच है कि गन्ने का मूल्य केवल इसलिये सामान्य उत्पादन लागत से कम निर्धारित किया गया है ताकि चीनी उत्पादकों को हानि के बल पर अधिक मात्रा में चीनी के उत्पादन की नीति अपनाई जा सके ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : 'चीनी उत्पादकों को हानि के बल पर का कोई प्रश्न नहीं हैं। उत्पादकों को उचित मूल्य दिया जाता है। बाकी राज सहायता है और यह संसद के एक अधिनियम द्वारा नियंत्रित होती है। हम प्रति वर्ष चीनी के निर्यात के लिये आवश्यक राज-सहायता देते हैं।

श्री हेम बरुआ : सरकार ने अवमूल्यन के पश्चात् आयात में उदारता दिखाई है। क्या सरकार बता सकती है कि इस नीति से देश के निर्यात उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री मनुभाई शाह : अभी यह कैसे बताया जा सकता है ? केवल चार महीने बीते हैं ? हमें कुछ और समय दीजिये, तब ही हम परिणाम दिखा सकेंगे।

Shri Sheo Narain : May I know when this report is expected and how much time will be taken in its implementation ?

Shri Manubhai Shah : As far as the report is concerned, it is a standing committee. In whichever item difficulty is experienced, it is resolved. The representation received are also looked into.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार ने उन चीजों की छानबीन की है जो निर्यात होने पर अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से बहुत अधिक मूल्य पर बिक रही हैं और यदि उत्तर स्वीकारात्मक है, तो वे कौनसी चीजें हैं और सरकार ने उन्हें कुछ और राज-सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की है ताकि हमारा निर्यात बढ़े ?

श्री मनुभाई शाह : इंजीनियरी सामान, इस्पात उत्पाद, चीनी, बिनौला की खली, रसायन, औषध, प्लास्टिक, हथकरघा कपड़ा, हाथ से बनाये गये ऊनी गलीचे जैसी चीजें हैं, जिन्हें नकद सहायता दी जाती है क्योंकि स्थानीय मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से बहुत अधिक हैं।

Shri Bibhuti Mishra : Will the Hon. Minister kindly give subsidy on jute as imports from Bangkoh and other places are depressing the price of jute here ? Will he give subsidy to jute grower and see that more goods are manufactured here and exported ?

Shri Manubhai Shah : We always try to give encouragement to growing of jute in the country and the House must be aware that the present production is 70 to 80 lac bales as compared to 22 lac bales in 1948 regards the other point, we process 90 lacs to 1 crore bales. We have to Pay subsidy on 20 lakh bales now being imported.

श्री प्र॰ र॰ चक्रवर्ती : ये सुविधायें, विशेष रूप से राज-सहायता देने में प्राथमिकता किस

आधार पर निश्चित की जाती है ?

श्री मनुभाई शाह : राज सहायता के आधार ये हैं : (क) समुचित निर्यात शक्यता है अथवा नहीं ; और (ख) उत्पादन लागत की उचित जांच के पश्चात् बहुत सी बातें निर्माताओं के वश में नहीं होतीं, स्थानीय मूल्य और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में अन्तर की पूर्ति के लिये कोई सहायता आवश्यक है या नहीं ।

श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग

6. **श्री मधु लिमये** : **डा० राम मनोहर लोहिया** :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या कतिपय निहित हित वाले पक्षों ने इस कार्यवाही का विरोध किया था ;

(ग) इस आयोग के निर्देश-पद क्या है ;

(घ) इसके कौन-कौन सदस्य होंगे ; और

(ङ) इसके द्वारा कब प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री जगजीवन राम) :

(क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) आयोग श्रमिकों के हितों की सुरक्षा सम्बन्धी वर्तमान कानूनी और अन्य उपबन्धों का पुनर्विलोकन करेगा उनके काम करने के बारे में अनुमान लगायेगा और सलाह देगा कि इन उपबन्धों से श्रम मामलों के बारे में राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धान्तों तथा समाजवादी समाज की स्थापना और योजनाबद्ध आर्थिक विकास के राष्ट्रीय उद्देश्यों की कहां तक पूर्ति होती है । यह विशेष रूप से श्रमिकों की आय के स्तर सामाजिक सुरक्षा के लिये व्यवस्था, औद्योगिक सम्बन्ध आदि विषयों और ग्रामीण श्रमिकों की दशा सुधारने के लिये उपायों का अध्ययन करेगा और प्रतिवेदन देगा ।

(घ) अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव के अतिरिक्त आयोग के मालिकों और श्रमिकों के प्रत्येक के चार सदस्य, चार स्वतन्त्र सदस्य, जिसमें एक अर्थशास्त्री होगा, होंगे ।

(ङ) लगभग दो वर्ष ।

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)
RE : CALLING ATTENTION NOTICES (QUERY)

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें अनुमति मांगनी चाहिये, तब मैं उन्हें अनुज्ञा दूंगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम) : हमने भी कुछ ध्यान दिलाने वाली

सूचनायें दी है। क्या माननीय वाणिज्य मन्त्री उन कपड़ा मिलों के बन्द होने के बारे में अपनी बातचीत के परिणामों के बारे न संसद में कोई वक्तव्य देंगे ?

श्री मनुभाई शाह : मैंने निवेदन किया है कि यदि सम्भव हो तो मुझे 2½ बजे उसके लिये समय दिया जाये।

Shri Bade (Khargon) : Mr. Speaker, I had also given a notice.

Mr. Speaker : You will be informed.

Shri Bade : The correspondence between Muni Sushil and the Prime Minister should be made known to the House. That is an important correspondence.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : My submission is that the correspondence which took place between the Prime Minister and Muni Sushil after the Muni declared that he would go on fast, should be discussed here. The Prime Minister should inform the perpert of the letter to the House.

Mr. Speaker : Please sit down.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : I have given two calling attention Notices. The first is regarding the Notice given by Supreme Court to Shri Madhu Limaye for breach of privilege. I wanted to have information from the Minister of Parliamentary Affairs in this regard.

Mr. Speaker : I have not received the notice.

Shri Ram Sewak Yadav : The second is regarding the police parade which was to be given in honour of the Home Minister.

Mr. Speaker : I have disallowed it.

Shri Madhu Limaye : There was a short Notice quetsion in my name.

Mr. Speaker : It can not be taken up now.

Shri Madhu Limaye : I apologise you for my coming late.

Mr. Speaker : That can not be taken up now. It had never happened so during the last twenty years. So I can not allow you.

Shri Madhu Limaye : Then let me say something regarding the officers and Government of Bihar ...

Mr. Speaker I have not received any notice for that.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैंने जिस रीता फेरिया की प्रस्तावित वियतनाम यात्रा के सम्बन्ध में एक ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी, परन्तु दुर्भाग्य से उस ध्यान दिलाने वाली सूचना को ....

अध्यक्ष महोदय : मिस रीता जहां कहीं जाये, हमें उससे कोई मतलब नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने आपको दो बहुत महत्वपूर्ण विषयों के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचनायें दी थी। पहली ध्यान दिलाने वाली सूचना छात्रों की रिहाई के सम्बन्ध में थी और दूसरी निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये राजनैतिक कैदियों की चुनाव से पहले रिहाई के सम्बन्ध में थी। चूंकि इन ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं को नामंजूर कर दिया गया है, इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय मन्त्री वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं मन्त्री महोदय से पता लगाऊंगा।

Shri J. B. Singh (Ghosi) : Mr. Speaker, calling attention notices are given for most important questions only. I have given a notice for calling attention regarding

starvation conditions in Mahu in district Azamgarh, I have also given a calling attention notice regarding heavy rise in the prices of cotton there. I request that my calling attentions notices be accepted.

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : मैंने रेलवे के इंजीनियरों तथा फोरमैनों के वेतन क्रमों को पुनरीक्षित करने के बारे में बहुत से अल्प सूचना प्रश्न तथा आधे घण्टे की चर्चा उठाने के लिये प्रश्न दिये थे, परन्तु उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इस समय ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में बात चल रही है।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Sir, I have no complaint against you, but I have a complaint against the Leader of the House, who is listening to others but who does not listen us.

Mr. Speaker : You should not speak so loud, because you have said that you are on fast.

Shri Yashpal Singh : I am on fast. But I am not at all sorry for my fast. I am sorry for the promise of the Leader of the House. He gives promises and then breaks them. I have no connection with fast.

Mr. Speaker : Shri Yashpal Singh had written to me that he would be going on fast from next day. I am happy to note that his face is shining more to-day.

Shri Yashpal Singh : Fast makes one life long. It has been laid down in holy Gita that fast makes life long. But I want to know how to deal with the Leader of the House who breaks his promises daily.

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Satya Narayan Sinha): I want to remind the hon. Member who is considered to be very pious and who often quotes Gita and Ramayana that Lord Krishna took an oath that he would not take up arm during the battle of Mahabharata, but Bhisma compelled him to take up arms. Likwise I do not break my promises.

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : माननीय वाणिज्य मंत्री के प्रस्तावित वक्तव्य के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि वह बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है तथा उसके बाद हमें प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह उस समय देखा जायेगा।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिये सभा की अनुमति हेतु श्री गो० ना० दीक्षित अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : नियम 225 के अन्तर्गत मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था और इसका विरोध भी किया गया था। नियम 225 (2) अन्तर्गत ......

अध्यक्ष महोदय : अब वह केवल अनुमति के लिये प्रस्ताव पेश करें।

श्री गो० ना० दीक्षित : मैं नियम 225 (2) के अन्तर्गत विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिये सभा की अनुमति की प्रार्थना करता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जैसा कि कल भी कहा गया था नियम 223 इस प्रकार है :

"जो सदस्य विशेषाधिकार प्रश्न उठाना चाहे वह उसकी लिखित सूचना उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व जिस दिन कि प्रश्न उठाने का विचार हो, सचिव को देगा। यदि उठाया गया प्रश्न किसी दस्तावेज पर आधारित हो तो सूचना के साथ वह दस्तावेज भी संलग्न होगा।"

मुझे आशा है आपने अपने आपको यह सन्तुष्ट कर लिया होगा कि यह प्रस्ताव उपरोक्त दोनों शर्तों की पूर्ति करता है।

नियम 224 इस प्रकार है :

"विशेषाधिकार प्रश्न उठाने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :—

(1) एक ही बैठक में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे ;

(2) प्रश्न हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा;

(3) विषय में सभा का हस्ताक्षेप अपेक्षित है।"

इस सम्बन्ध में मैं आपको 17 अगस्त को सभा की कार्यवाही का हवाला देता हूं जिस समय आपने खाद्य तथा कृषि मन्त्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में कहा था कि सर्वप्रथम श्री मधु लिमये से विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना प्राप्त हुई थी और उसके चार दिन बाद श्री दाजी, श्री बनर्जी तथा श्री मधु लिमये से विशेषाधिकार का एक प्रश्न उठाने की सूचना प्राप्त हुई है। तब आपने तर्क पेश किया था और कहा था कि जहां तक विशेषाधिकार का सम्बन्ध है यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सूचना तुरन्त और प्रथम अवसर पर दी जानी चाहिये; यह निश्चय किया गया है कि विशेषाधिकार भंग की सूचना को एक या दो दिन के विलम्ब के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता और विशेषाधिकार के प्रस्ताव के लिये तो 24 घण्टों का ही विलम्ब घातक है।

वर्तमान विशेषाधिकार प्रश्न का विशिष्ट मामला क्या है ? इसका विशिष्ट मामला यह है कि श्री मधु लिमये ने आपको एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि मैं एक व्यक्ति जो अपने आपको कर्नल अमरीक सिंह उर्फ के० ए० साही बताता है के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग करने का प्रस्ताव उठाने की सूचना देता हूं। यदि यह सिद्ध होता है कि ये दस्तावेज हैं तो फिर मैं श्री जीत-पाल के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग करने का प्रस्ताव पेश करने की सूचना देता हूं। श्री लिमये के पत्र में आगे कहा गया था कि मैं यह नहीं कह सकता कि यह दस्तावेज हैं अथवा नहीं। मैं तो केवल यह जानता हूं कि इससे माननीय अध्यक्ष पर बहुत गम्भीर आरोप लगता है। इस बात की जांच करना कि यह दस्तावेज है अथवा नहीं और कर्नल अमरीक सिंह अथवा श्री जीत को दण्ड देना सभा एवं विशेषाधिकार समिति का कार्य है। नियम में कहा गया है कि विशेषाधिकार का प्रश्न हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा, परन्तु यह प्रश्न तो हाल में घटित किसी विशिष्ट विषय से सम्बन्धित नहीं है। यह प्रश्न तो विशेषाधिकार समिति की 11 वीं रिपोर्ट से सम्बन्धित है, जिसे सभा पटल पर रखा गया था, तथा जिस पर कल विचार किया गया था। तीन महीने से अधिक समय गुजर गया है, जब श्री मधु लिमये ने वह पत्र लिखा था। श्री दीक्षित ने इस बीच कभी यह प्रश्न उठाने का प्रयत्न नहीं किया और अब यह प्रश्न उठा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि श्री दीक्षित का प्रस्ताव अपेक्षित शर्तों की पूर्ति नहीं करता है। अतः मैं आप से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस बात पर विचार करें कि क्या यह प्रश्न हाल ही में घटित किसी विषय पर आधारित है अथवा इसे दुर्भावना से जानबूझ कर उठाया जा रहा है।

Shri Bade (Khargon): Mr. Speaker, I rise on a point of order. Firstly the motion does not relate to a matter of recent occurence. Secondly when motions and resolutions are brought here by the Members in discharge of their duties, their admissibility or otherwise is decided by you in your chamber. In this case you have departed from that procedure and you have not decided in your chamber whether this motion should be allowed or not. I presume that you have not decided its admissibility or otherwise in your chamber as you are personally involved in it. But I appeal to you that you should allow or disallow it as Speaker and it should not be allowed merely because you are personally involved in it. If the admissibility of a motion of breach of privilege is decided keeping in view whether it involves you personally or not then it would be impossible for the opposition Members to bring here privilege motions. There are some cases in which Ministers are involved in a motion of breach of privilege and that should not be the deciding factor of its admissibility. The evidence tendered before the Privilege Committee was useless and it can not be relied upon. I think there is no breach of privilege and this motion should be disallowed.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): Mr. Speaker. so far as the procedure is concerned, my submission is this, matter should be discussed in the House before referring it to the Privilege Committee. I think it is not proper to refer this matter to the Privilege Committee, before it is discussed in this House. I want to submit that the intention of Shri Madhu Limaye in moving that motion may be that he wanted to let you down or may be that he wanted that if he could succeed in lessening five or six persons out of the thousands present in Delhi who are doing illegal business because they have relations with those in authority would be a great service to the country; or may be he wanted to punish such persons who are in the habit of defaming others. He might have thought that if due punishment could be given to them, then it would be an example for other. I also want to submit that I am aware of your intentions in writing that letter to the Minister. Because it is well known that in Delhi Government accommodation is allotted under certain rules and there is a long que of such persons who want allotment and because that man belonged to your district, you wanted that he should be given accommodation irrespective of the fact whether he was entitled for it under the rules or not and that is why you have written to the Minister the words "out of turn"

Mr. Speaker: Now you have spoken about my intention also. Please sit down. I am reading that letter so that this House and the country may judge themselves. I would request the Leader of the House to read that letter. They have taken advantage of that.

Dr. Ram Manohar Lohia: We have taken no advantage. You are blaming us that we are showing forged letters. After all there is a limit to every thing.

Mr. Speaker: The hon. Member should now sit down. I am going to read that letter. (Interruptions). — order —order.

मैं सभा नेता से कहूंगा कि वह इस खत को पढ़ दें।

सभा नेता (श्री सत्यनारारण सिंह) : खड़े हुए।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्र पाड़ा) : यह उचित प्रक्रिया नहीं है। वह विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में सभा की अनुमति चाहते थे तथा उस पर व्यवस्था के प्रश्न उठाये गये थे। उन व्यवस्था के प्रश्नों का निपटारा करने से पहले ही आप एक अन्य सदस्य को कुछ और पढ़ने को कह रहे हैं। क्या जब एक विशेष विषय पर चर्चा चल रही हो, किसी दूसरे ऐसा विषय को उठाया जा सकता है, जो कि चर्चा सम्बन्धी विषय से संगत नहीं है ? मेरे विचार में चर्चा के दौरान किसी अन्य विषय को आरम्भ नहीं करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। जहां तक व्यवस्था के प्रश्नों का सम्बन्ध है, यह कहा गया है कि यह हाल की घटना का मामला नहीं है तथा श्री मधु लिमये ने वह पत्र लगभग दो महीने पहले लिखा था। यह ठीक है कि वह पत्र लगभग दो महीने पहले लिखा गया था। परन्तु उस पत्र में ऐसा कोई कारण नहीं था जिससे विशेषाधिकार भंग की कार्यवाही की जा सकती। विशेषाधिकार समिति द्वारा की गई जांच के निष्कर्ष से कि ऐसा कोई पत्र नहीं है जिसका अमरीक सिंह द्वारा उल्लेख किया गया था, वह कारण उत्पन्न हुआ है। इसलिये यह पुरानी घटना नहीं है अपितु हाल ही की ही घटना है। मैं उन सदस्यों से जो अनुमति देने के पक्ष मे हैं निवेदन करूंगा कि वह अपने स्थानों पर खड़े हो जायें और जैसा कि 25 से अधिक सदस्य खड़े हुये हैं, इसलिये अनुमति दी जाती है।

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, it is not proper.

Mr. Speaker : It has been argued that this matter may be discussed in this House itself, before it is referred to the Committee. If the House has the pleasure of discussing it, I have no objection. But if it is to be referred to the Committee that no discussion can be permitted now. (Interruptions) Then the Committee will decide.

Shri S. M. Banerjee : We are ready to sit up to 9 P. M. This matter should be discussed in the House.

Mr. Speaker : I think the House has to transact other business also. Therefore, it should be reffered to the Committee whether there is a breach of privilege or not. (Interruptions) Is that the pleasure of the House?

कई माननीय सदस्य : हां, हां।

श्री गो० ना० दीक्षित : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।"

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैं संशोधन पेश करना चाहती हूं कि इस मामले पर सभा में चर्चा की जाये।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी : "मैं प्रस्ताव करता हूं : कि विशेषाधिकार भंग के प्रश्न पर, जिसकी सभा ने अनुमति दे दी है, सभा में चर्चा की जाये।"

अध्यक्ष महोदय : यह एक स्थानापन्न प्रस्ताव है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मैं प्रस्ताव करता हूं : "मैं प्रस्ताव करता हूं कि समिति का प्रतिवेदन सभा में सोमवार को पेश किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : पहले में श्री बनर्जी का प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है : "कि विशेषाधिकार भंग के प्रस्ताव पर जिसकी सभा ने अनुमति दे दी है, सभा में चर्चा की जाये।"

सभा में मत विभाजन हुआ पक्ष में 20; विपक्ष में 179.

The Lok Sabha divided; Ayes 20; Noes 179.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ :

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री दीक्षित का प्रस्ताव मतदान के लिये रखता हूं। प्रस्ताव यह है : "कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।"

सभा में मत विभाजन हुआ; पक्ष में 179; विपक्ष में 20

The Lok Sabha divided; Ayes 179; Noes 20.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Chandramani Lal Chaudhry (Mahua) : My vote has not been recorded properly. The machine was out of order.

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar) : My machine is also out of order.

अध्यक्ष महोदय : इसका हिसाब लगा लिया जायेगा। श्री द्विवेदी ने कहा है कि समिति को सोमवार तक रिपोर्ट पेश करने को कहा जाये। वह असंभव है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मेरा संशोधन यह है कि समिति की बैठक कल हो, हालांकि कल रविवार है और समिति को कहा जाये कि वह अपना प्रतिवेदन सोमवार को पेश करे, क्योंकि सोमवार इस सत्र का अन्तिम दिन है और सदस्य सभा के अनिश्चित काल के लिये स्थगित होने से पूर्व इस मामले का निपटारा करना चाहते हैं। यदि समिति अपना प्रतिवेदन सोमवार को पेश करती है, तो सभा को इस पर चर्चा करने का अवसर भी मिलना चाहिये।

Dr. Ram Manohar Lohia : We should not give undue importance to it that the report must be submitted on Monday. It matters little whether the report is presented tomorrow or it is presented after a year. But it should be fully insured that the report is prepared after full investigation and due consideration. It should not be prepared in a hurry.

Mr. Speaker : I agree with you in this regard.

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Madhu Limaye should be given full opportunity to explain his view points and we should also be allowed to be heard.

Mr. Speaker : It is for the Committee to decide I can not put any restriction on the Committee. But it would not be appropriate to ask the Committee to present its report by day after to-morrow. It should be left to the Committee.

श्री नि० चं० चटर्जी : मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार समिति में हमारे लिये यह असंभव होगा कि सोमवार तक रिपोर्ट पेश की जाये, क्योंकि हमें श्री मधु लिमये, डा० लोहिया तथा अन्य व्यक्तियों की बातों को भी सुनना है और अपने प्रतिवेदन को ध्यानपूर्वक बनाना है। इसके लिये समय चाहिये।

Mr. Speaker : Mr. Bali Ram Bhagat ... ...

Because that letter has been referred to in the House, I would request the Leader of the House to read that so that the House and the country may know what that letter contains and may judge themselves. Dr. Lohia had mentioned about that letter written by the Speaker and he stated that he had got a document against the Speaker. I want this House and the country to know what that letter is ?

एक माननीय सदस्य : तिथि क्या है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : यह है : नई दिल्ली 19-2-1964। इसमें लिखा है।

प्यारे श्री भगवती, एक जी० एस० केबल्स के श्री सरदूल सिंह को तीन मास के लिये अस्थायी तौर पर एक क्वार्टर दिया था। वह मेरे ही जिले से यहां आया है। इस कारण उसकी मां मेरे पास आई और मुझसे कहा कि उसे बिना बारी के एक क्वार्टर दे दिया जाये।

मैं इस मामले की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस परिवार के बारे में कुछ किया जा सकता है। मैं उस अस्थायी रूप से देने के बारे में जो मूल पत्र मिला था उसकी एक प्रति आपके पास भेज रहा हूं।

आपका।

Mr. Speaker: Now the members and the country can judge as to what I have done in this case.

श्री राम सहाय पाण्डेय (गुना) : मैं सदन के नेता को चाहूँगा कि इस पत्र को देखे कि इसके द्वारा डा० लोहिया ने देश के एक महान व्यक्ति जो कि इस सदन की अध्यक्षता करते हैं, के विरूद्ध क्या रवैया अपनाया है।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : This is a case of recommendation and it can come under the corrupt-practices.

Shri Satya Narayan Sinha : The Ministers have a right to give "out of turn" allotments.

Shri Madhu Limaye (Monghyr): It should be explained as to why it was marked 'confidential'.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना :

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1795 की एक प्रति जो दिनांक 26 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7504/66]**

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल सामान्य विक्रय-कर अधिनियम, 1963 की धारा 57 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० 431/66 की एक प्रति जो दिनांक 22 नवम्बर, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल सामान्य विक्रय-कर नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7504/66[**

एयर इंडिया के 1965-66 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा केरल मोटर गाड़ी नियमों में संशोधन

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 427/66 की एक प्रति जो दिनांक 15 नवम्बर, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल मोटर गाड़ी नियम, 1961 में कतिपय संशोधन किये गये।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7507/66]

केरल विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

केरल राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1965 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केरल विश्वविद्यालय (संशोधन), संशोधन अधिनियम, 1966 (राष्ट्रपति का 1966 का अधिनियम, संख्या 11) की एक प्रति जो दिनांक 5 नवम्बर 1966 के भारत के राज्यपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7508/66]

भारतीय लाख उपकर समिति का 1963–64 तथा भारतीय केन्द्रीय मसाला तथा काजू समिति के वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : श्री श्याम धर मिश्र की ओर से मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) भारतीय लाख उपकर समिति के 1963-64 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी संस्करण)।

(दो) उक्त प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 7509/66]

(2) भारतीय लाख उपकर समिति के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी संस्करण)। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7510/66]**

(3) भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7511/66]

(4) (एक) भारतीय केन्द्रीय मसाला तथा काजू समिति के 1963-64 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) उक्त प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7512/66]**

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति कार्यवाही सारांश
COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION MINUTES

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सत्रहवीं और अठारहवीं बैठकों का कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से निम्न सन्देश प्राप्त हुए हैं तथा उनकी मैं सूचना देता हूं :

(एक) कि लोक-सभा द्वारा 22 नवम्बर, 1966 को पास किये गये संविधान (उन्नीस-वां संशोधन) विधेयक, 1966 को राज्य-सभा ने अपनी 30 नवम्बर, 1966 की बैठक में बिना किसी संशोधन के पास किया ।

(दो) कि लोक-सभा द्वारा 22 नवम्बर, 1966 को पास किये गये केरल विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1966 के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(तीन) कि लोक-सभा द्वारा 22 नवम्बर, 1966 को पास किये केरल विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1966 के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(चार) कि लोक-सभा द्वारा 22 नवम्बर, 1966 को पास किये केरल विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1966 के बारे में राज्य-सभा को लोक सभा से कोई सिफ़ारिश नहीं करनी है ।

(पांच) कि लोक-सभा द्वारा 21 नवम्बर, 1966 को पास किये गये विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक, 1966 के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(छः) कि लोक-सभा द्वारा 21 नवम्बर, 1966 को पास किये गये विनियोग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक, 1966 के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा में कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

सदस्य का त्याग पत्र

RESIGNATION OF MEMBER SHRI LAXMI DASS

(श्री लक्ष्मी दास)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि श्री लक्ष्मी दास जो कि लोक सभा के लिये मरयालगुडा से निर्वाचित होकर आये थे ने लोक सभा से 2 दिसम्बर 1966 के 4 बजे सांय से त्याग पत्र दे दिया है ।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

छठा प्रतिवेदन

श्री कृष्ण मूर्ति राव (शिमोगा) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का छठा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE
एक सौ आठवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह (बरसाट) : मैं खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय (कृषि विभाग)—भारतीय चरागाह तथा चारा अनुसंधान संस्था और भू-संरक्षण अनुसंधान, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के बारे में प्राक्कलन समिति के अस्सीवां प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर प्राक्कलन समिति का एक सौ आठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

भारतीय टैरिफ (द्वितीय संशोधन) विधेयक
INDIA TARIFF (SECOND AMENDMENT) BILL

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि भारतीय टैरिफ अधिनियम 1934 की पहली अधिसूची में संशोधन करना है । विधेयक के साथ जो उद्देश्य तथा कारणों का विवरण किया है, उससे पता लग गया होगा कि सेरीकल्चर उद्योग को 31 दिसम्बर 1966 के बाद की संरक्षण देना तथा निम्न के संरक्षण को पहली जनवरी 1967 के बाद समाप्त करना है, (i) एन्टिमनी, (ii) एलमूनियम कन्डक्टर स्टील रीईन्फोर्सड तथा ऑल एलूमिनियम कन्डक्टर (iii) कपड़ा बनाने की मशीनरी तथा (iv) पिस्टन एसेम्बली उद्योग ।

इन उद्योगों के बारे में टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन तथा उन प्रतिवेदनों पर सरकार के संकल्प पहले ही सभा-पटल पर रख दिये गये हैं तथा सदस्यों को भेज दिये गये हैं ।

महोदय पहली जनवरी 1966 को सुरक्षित उद्योगों की संख्या 8 थी ।

जिन उद्योगों के संरक्षण हटा दिया गया है उन्होंने पर्याप्त प्रगति कर ली है तथा वे आयात का मुकाबला कर सकते हैं और अपने पांवों पर खड़े हो सकते हैं ।

सेरीकल्चर उद्योग के बारे में आयोग ने और तीन वर्ष तक अर्थात् 31 दिसम्बर 1969 तक संरक्षण देने की सिफारिश की है ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री श्याम लाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं विशेषकर इस कारण से कि टैरिफ आयोग की सिफारिश पर सरकार द्वारा सेरीकल्चर उद्योग को तीन वर्ष तक और सरक्षण देने की जो बात सरकार ने स्वीकार कर ली है । मेरी समझ में नही आया कि सरकार ने केवल तीन वर्ष के लिए ही क्यों संरक्षण की सिफारिश की है क्योंकि यदि उन्नत देशों से मुकाबला किया जाये तो यह उद्योग अभी अपने पांव पर खड़ा नहीं हुआ है ।

मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय सभा को बतायेंगे कि सेरीकल्चर उद्योग के बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ।

सेरीकल्चर उद्योग का विकेन्द्रीयकरण किया हुआ है तथा यह अब राज्यों की सूची में है। फिर भी केन्द्रीय सरकार ने सारे देश में इस उद्योग के समन्वय का कार्य अपने हाथ में लिया हुआ है।

मैं यह नहीं कह सकता कि केन्द्रीय सरकार ने इस उद्योग में अनुसंधान का कुछ कार्य किया है। क्योंकि हम यह भी नहीं कह सकते कि हमारे यहां के शहतूत के वृक्षों के पत्ते भी ठीक हैं अथवा नहीं। जापान में इस विषय पर बहुत अनुसंधान किया है। यही कारण है कि जापान इस उद्योग में बहुत आगे है। मैं नहीं कह सकता कि मेरे राज्य में अथवा मैसूर में अथवा किसी और राज्य में भी हम उन्नत देशों से सेरीकल्चर उद्योग में मुकाबला कर सकते हैं तथा कह सकते हैं कि रेशम के कीड़े इस देश की जलवायु में जीवित रह सकते हैं।

कुछ त्रुटियां हैं जिन्हें दूर करना होगा। साथ ही यह भी याद रखना होगा कि अब इस क्षेत्र में रूस और चीन भी आ गये हैं।

मैं तो यह कहूंगा कि यह संरक्षण दस वर्ष के लिए देना चाहिये। तीन वर्ष तो कुछ नहीं हैं। साथ राज्य सरकारों को भी केन्द्रीय सरकार से सहयोग करना चाहिये।

हम तब तक इसको अधिक मात्रा में निर्यात नहीं कर सकेंगे जब तक इसके पत्तों को नहीं सुधारते। सौभाग्य से हमारे देश में कुछ ऐसे कारण हैं जिससे हम अधिक लाभ उठा सकते हैं क्योंकि यहां बहुत पहले से यह उद्योग रहा है।

मैं मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने कुछ अन्य उद्योगों से संरक्षण हटा दिया है।

श्री रंगा (चित्तूर) : मुझे प्रसन्नता है कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। रेशम के उद्योग को संरक्षण देने की आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकार चाहती थी कि रेशम के उद्योग में कार्य करने वालों की स्थिति सुधरे परन्तु राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकी।

मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र चित्तूर में तथा विशाखापटनम, सेलग, कोईम्बेतूर आदि स्थानों पर इस उद्योग से लोगों की आय में कुछ वृद्धि हुई है।

दुर्भाग्यवश बहुत कम कार्य इस दिशा में किया गया है। आन्ध्र में भी सिवाय एक या दो अधिकारी नियुक्त करने के राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया है।

मैं अपने मित्र से चाहूंगा कि वह सेरीकल्चर उद्योग में अनुसंधान तथा विकास के लिये जितना अधिक धन हो सके देवें और इस प्रकार ग्रामीण आर्थिक स्थिति में सहायता करें।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : कुछ समय पूर्व अपनी जापान यात्रा के दौरान मुझे वहां पर एक रेशम कारखाने को देखने का अवसर मिला और उस कारखाने के मैनेजर से मेरी बातचीत हुई। मैनेजर ने मुझे बताया कि जापान में कितना कपड़ा रेशम का बनता है और कितना अन्य देशों को निर्यात किया जाता है? जापान की तुलना में भारत में रेशमी कपड़े का बहुत कम उत्पादन होता है। भारत वापिस आने पर इस उद्योग के सम्बन्ध में पंजाब के मुख्य मन्त्री महोदय से बातचीत की।

प्राचीन काल में भारत रेशम के उद्योग में पर्याप्त उन्नत समझा जाता था और उसका सारे विश्व में काफी नाम था। किन्तु आज स्थिति यह है कि रेशम कारखानों को कच्चा माल ही नहीं मिल पाता है। पंजाब में अनेक कारखाने कच्चा माल न मिलने के कारण प्रायः बन्द पड़े हैं।

पंजाब राज्य में रेशम उद्योग के लिए काफी गुंजायश है, विशेष रूप से इसलिये कि इस

राज्य में अनेक पहाड़ी जिले है परन्तु अब वह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में चला गया है–जिनमें शहतूत की खेती की जा सकती है और रेशम कीट-पालन उद्योग चालू किया जा सकता है। मुझे बताया गया है कि इन पहाड़ी जिलों में काफी बेरोजगारी है। उस राज्य में अब भी यदि बेरोजगार लोग शहतूत की खेती करके रेशम के कीड़े पालने का कार्य आरम्भ करे तो न केवल उनकी बेरोजगारी की समस्या हल हो जायेगी अपितु इस उद्योग को भी सहायता मिलेगी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल कागजों पर संरक्षण देना मात्र काफी नहीं है। उस संरक्षण को कार्य-रूप दिया जाना चाहिये जिससे उसका वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सके। कच्चा माल न मिलने के कारण पंजाब में अनेक कारखाने बन्द पड़े है। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई रुचि नहीं ले रही है।

रेशम उद्योग के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश में कुछ रचनात्मक कोर्य हो रहा है, इस बात की मुझे प्रसन्नता है। हमें भी रेशम उद्योग के विकास के लिये कुछ रचनात्मक कार्य करना चाहिए। रेशम के कीड़े पालने वाले फार्मों की अपेक्षा की गई है। हमें सर्व प्रथम इन फार्मों की ओर ध्यान देना चाहिये और उनका विकास करना चाहिए। मन्त्री महोदय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संरक्षण से इस उद्योग को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे और हम अधिक से अधिक रेशमी कपड़े का निर्यात कर सकें।

Shri Sivamurthi Swamy (Koppal) : Mr. Speaker, while welcomihg the Bill I want to put forth the difficulties of the weavers. They have long been demanding that the work of distribution should be taken away from the Textile Commissioner because there are serious irregularities in this work. The same is the state of affairs in regard to import and export licences. Generally the silk imported under the import licence is sold in blackmarket by the licence holders. Import licences should be given to the Handloom Co-operatives so that they may directly import silk because the wholesale dealers make undue profits. A separate Commiesioner should be appointed for handloom industry.

The quality of cotton yarn supplied to the silk industry is very poor with the result that the industry is languishing and people are losing employment. The Government should look into it and take some concrete steps in this regard.

The silk, industry should be decentralised and encouragement and protection should should be given to it. It would be better if the period of protection is extended because three years' period is not sufficient.

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी (चिकबलपुर) : रेशम उद्योग को पिछले पन्द्रह वर्ष से संरक्षण दिया जा रहा है। किन्तु हम यदि इसकी प्रगति को देखें, तो यह उतनी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो धन राशि रेशम उद्योग के विकास के लिए विभिन्न राज्यों की दी गई थी उसका मैसूर राज्य को छोड़ कर जहां 80 प्रतिशत किया गया है, 50 प्रतिशत भी व्यय नहीं किया गया है।

यह खेद की बात है कि रेशम बोर्ड एक शक्तिहीन निकाय है, उसके अध्यक्ष (चेयरमैन) रेशम उत्पादन सम्बन्धी योजनाओं को लागू करने पर अपना पूरा समय नहीं लगा सकते हैं। यद्यपि सरकार ने यह तय किया था इस बोर्ड का चेयरमैन पूर्णकालिक आधार पर हो, फिर भी अभी तक सरकार के इस निर्णय को कार्यरूप नहीं दिया गया है। सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि वह पूर्णकालिक चेयरमैन की नियुक्ति के लिये एक सक्षम व्यक्ति के बारे में विचार कर रही

है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि एक सक्षम व्यक्ति को, जो रेशम उत्पादन के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो, चाहे वह सरकारी व्यक्ति हो अथवा गैर सरकारी, पूर्णकालिक चेयरमैन के पद पर तुरन्त नियुक्त किया जाना चाहिये ताकि वह रेशम-उत्पादन वाले विभिन्न क्षेत्रों में रेशम उत्पादन की योजनाओं को अच्छी तरह क्रियान्वित कर सके।

यह आश्चर्य की बात है कि इस उद्योग का मुख्यालय बम्बई में है। कदाचित सरकार ने यह सोचा होगा कि चूंकि रेशम बोर्ड के चेयरमैन कपड़ा आयुक्त है इसलिये इसका मुख्यालय बम्बई में ही रखा जाये। किन्तु अब जब पूर्णकालिक चेयरमैन नियुक्त किया जाये तो उसके बाद मैसूर जैसे अधिक रेशम का उत्पादन वाले क्षेत्र में रखा जाये। समय की मांग को देखते हुए सरकार को मुख्यालय बदल कर ऐसे स्थान में रखे जहां रेशम उत्पादन की अधिक योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है।

रेशम की किस्म में सुधार करने के लिये शहतूत के पत्तो में सुधार किया जाना आवश्यक है जिसके लिये सरकार को सिंचाई के लिए अधिक संख्या में कुओं की व्यवस्था करनी चाहिए। मैसूर राज्य में रेशम उत्पादन को 80 प्रतिशत वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः सरकार को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिए।

देश में अधिक संख्या में सहकारी समितियों का होना आवश्यक है। मैसूर सरकार ने निर्णय किया था कि कृमिकोश की बिक्री के लिये कृमिकोष मंडियों की व्यवस्था की जायेगी किन्तु दुर्भाग्यवश वह अभी तक इसे कार्यरूप नहीं दे पाई है।

देश में रेशम उद्योग का विकास पिछले पन्द्रह वर्षों से किया जा रहा है और इतने ही समय से उसे संरक्षण मिलता रहा है। इतना होने पर भी हम रेशम उत्पादन के बारे में आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं और अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह दुख की बात है कि हम अभी तक रेशम का आयात करते हैं। अब समय आ गया है जबकि हमें रेशम का आयात बन्द कर देना चाहिए ताकि हम यथाशीघ्र आत्म निर्भर होकर अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता कर सकें।

चौथी पंचवर्षीय योजना में रेशम उद्योग के लिये मैसूर राज्य ने 13 करोड़ रुपये की योजना भेजी थी किन्तु केन्द्रीय सरकार ने केवल 3 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दी। केन्द्रीय सरकार ने इस उद्योग के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में केवल 11 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जो पर्याप्त नहीं है। सरकार के लिये देश के आन्तरिक उत्पादन को और रेशम की किस्म को सुधारने की ओर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है। रेशम उत्पादन की योजनाओं को यथाशीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिये जिससे रेशम के कारखाने बन्द न होने पावें और मजदूरों को बेरोजगार न होना पड़े।

Shri H. C. Soy (Singhbhum): Mr. Speaker, while supporting the Bill I want to draw the attention of the Minister to the suggestion made by the Tussor Industry Enquiry Committee appointed last year for this purpose. It was one of the suggestion of the Committee that the people engaged in tussor industry in Bihar and its adjoining areas should be given remunerative prices. I would like to know from the Minister that what action has so far been taken on these suggestions. Proper encouragements should be given to this industry also as is done in the case of other industries.

In Bihar the school children are given training in spinning cotton yarn. I would suggest that instead of cotton yarn they should spin tussor yarn so that the tussor may dovelop.

श्री व० ब० गांधी (बम्बई-मध्य दक्षिण) : रेशम उद्योग को पिछले 32 वर्षों से लगातार संरक्षण दिया जा रहा है किन्तु इस उद्योग ने उतनी प्रगति नहीं की है जितनी प्रगति की एक ऐसे उद्योग से अपेक्षा की जाती है जिसे 32 वर्ष तक संरक्षण दिया गया हो । पिछले 30 वर्षों के दौरान इस उद्योग में उत्पादन 2½ प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ा है । केवल पिछले सात वर्षों में उत्पादन की दर 7 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी है । उत्पादन की दर में और अधिक वृद्धि हो सकती है । रेशम उद्योग का विकास और अधिक ठोस आधार पर किया जाना चाहिए ।

प्रशुल्क आयोग ने संरक्षण की अवधि तीन वर्ष बढ़ाने की सिफारिश करने के कुछ कारण बताये हैं । इन में से मैं केवल दो कारण का उल्लेख करूंगा । आयोग ने पहला कारण यह बताया है कि यद्यपि इस उद्योग को 30 वर्ष से भी अधिक समय से संरक्षण दिया जा रहा है किन्तु अभी तक यह अपने पांवों पर खड़ा नहीं हो सका है । और अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता करने की स्थिति में नहीं है दूसरे कारण के बारे में आयोग का कहना है कि रेशम केउत्पादन के उद्योग में लगे हुए लोगों को तकनीकी तथा शिल्प सम्बन्धी बहुत कम शिक्षा दी गई है । अन्य देशों की, विशेषकर जापान की तुलना में, भारत का रेशम उद्योग बहुत पिछड़ा हुआ है ।

संरक्षण की अवधि बढ़ाने के समर्थन में जो बाते आयोग ने बताई है उनसे और अधिक कहने की गुंजायश नहीं रह जाती है ।

भारतीय हथ करघे के कपड़े के डिजायनों को विदेशों में काफी लोकप्रियता प्राप्त हुई है । यदि रेशमी कपड़े के सम्बन्ध में भी डिजायनों की लोकप्रियता का ध्यान रखा जाये तो हमें काफी सफलता मिल सकती है । अन्त में केवल यह कहना चाहता हूं कि रेशम उद्योग की ओर और अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : पिछले तीन हजार वर्ष से भारतीय मलमल तथा रेशम की प्रसिद्धि सारे विश्व में थी । चीनी यात्री फाहियान तथा एक अन्य यात्री मार्कों पालो ने भी इनकी प्रसिद्धि का उल्लेख किया है । किन्तु यह खेद की बात है कि स्वतन्त्र भारत में हम इस ओर अधिक ध्यान नहीं दे सके और इस उद्योग को प्रोत्साहन नहीं दिया गया । चीन तथा जापान ने रेशम उद्योग में पर्याप्त प्रगति कर ली है । सरकार को रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिए और उसका विकास करना चाहिये क्योंकि इस उद्योग से हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं ।

रेशम की अधिक उत्पादन लागत भी एक महत्वपूर्ण पहलू है । हमें रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिये शहतूत की अधिक खेती करनी चाहिये । रेशम का उत्पादन करने वाले राज्यों को इस सम्बन्ध में आवश्यक हिदायतें दी जानी चाहिये ।

अन्त में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि भारती टैरिफ अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये क्योंकि यह 32 वर्ष पुराना हो गया है । सूती कपड़ा उद्योग को भी संरक्षण दिया जाना चाहिये ।

श्री सोनावने (पंढारपुर) : रेशम उद्योग से विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है । किन्तु इस उद्योग का विकास करने तथा रेशम की किस्म में सुधार करने के लिये सरकार ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है । सरकार सदैव यह कहती रहती है कि किस्म में पर्याप्त सुधार हुआ है किन्तु यह कहना भर ही पर्याप्त नहीं है । सरकार को इस उद्योग की ओर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिये ।

रेशम उत्पादों की किस्म पर कड़ा किस्म नियंत्रण रहना चाहिये जिससे घटिया किस्म का कपड़ा न बने। घटिया किस्म के उत्पादों के कारण हमारे निर्यातकों को घाटा उठाना पड़ता है। निर्यात किया जाने वाला घटिया किस्म का माल अस्वीकृत कर दिया जाता है। जो व्यक्ति घटिया किस्म के माल को भेजने की अनुमति दे देते हैं उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए।

श्री बासप्पा (तिप्तूर) : मैसूर राज्य में देश के कुल रेशम के उत्पादन का 80 प्रतिशत रेशम का उत्पादन होता है। किन्तु यह खेद की बात है कि उस राज्य में उत्पादन 185 टन से घटकर 101 टन रह गया है और दूसरी ओर के मूल्य 114 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 135 प्रति किलोग्राम हो गये हैं तथा रेशम की मांग बढ़ गई है। वहां पर स्टाक की स्थिति भी अच्छी नहीं है। अतः रेशम उद्योग को संरक्षण दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

जिन राज्यों में रेशम-उत्पादन उद्योग में पहले ही अच्छी प्रगति हुई है उन्हे अधिक उत्पादन करने के लिये सहायता दी जानी चाहिये। रेशम के अधिक उत्पादन के लिये और अधिक तालाबों तथा कुओं की व्यवस्था की जाये जिससे शहतूत की खेती के लिये पानी मिल सके। चूंकि मैसूर राज्य के संसाधन सीमित है इसलिये उसे सिंचाई के लिये तालाबों के निमति अधिक अनुदान दिया जाना चाहिये।

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : यह सच है कि 80 प्रतिशत रेशम का उत्पादन मैसूर राज्य में होता है। इस सम्बन्ध में मैसूर राज्य ने हमें एक बहुत बड़ी योजना दी है जिस पर योजना आयोग विचार कर रहा है। मैसूर तथा काश्मीर, बिहार आदि रेशम का उत्पादन करने वाले राज्यों में रेशम उद्योग के विकास वाणिज्य मंत्रालय अधिक से अधिक ध्यान देगा।

श्री शर्मा का यह कहना गलत है कि पंजाब में उद्योगों का विकास नहीं हुआ है। पंजाब में अनेक छोटे बड़े उद्योग हैं जो काफी विकसित हैं। जहां तक रेशम का सम्बन्ध है, उसकी पंजाब में अधिक गुंजायश नहीं हैं क्योंकि वहां की जलवायु रेशम की खेती के अनुकुल नहीं है।

यह कहना भी सही नहीं है कि रेशम उद्योग ने प्रगति नहीं की है। 1963 में 14.2 लाख टन शहतूत रेशम का उत्पादन होता था और यह मात्रा बढ़कर पिछले वर्ष 16.3 लाख हो गया था। इसी प्रकार शहतूर के अन्य प्रकार के रेशम के आंकड़े क्रमशः 4.76 लाख टन और 5.18 लाख टन हैं। रेशमी कपड़े का उत्पादन 2 करोड़ 60 लाख वर्ग मीटर से बढ़कर 3 करोड़ वर्ग मीटर हो गया है। यह सच है कि हम अभी तक यूनी-वाल्टिन अथवा बई वाल्टिन अथवा अन्य प्रकार की रेशम के कीड़ों को अलग नहीं कर सके हैं जिनके द्वारा हमारी क्षमता काफी बढ़ जायेगी। किन्तु इस क्षेत्र में अनुसन्धान बराबर किया जा रहा है। हम वही प्रयत्न कर रहे हैं कि अच्छे किस्म के बीज के कीड़ों का उत्पादन किया जाये और इस उद्योग से सम्बन्धित टसर बीज और अन्य वस्तुओं का अच्छे से अच्छा उत्पादन किया जाये।

जहां तक टसर सम्बन्धी प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का सम्बन्ध है, इस प्रतिवेदन पर विचार किया जा चुका है और इसकी अधिकांश सिफारिशों पर चौथी पंच-वर्षीय में क्रियान्वित की जायेंगी। यह कहना गलत है कि किस्म नियंत्रण सम्बन्धी व्यवस्था ठीक नहीं है। किस्म नियंत्रण को, जिसके अन्तर्गत भारत का 82 प्रतिशत उत्पादन आता है, कढ़ाई से लागू किया जाता रहा है। पहले की अपेक्षा अब बहुत कम शिकायतें हमें विदेशी ग्राहकों से मिलती हैं। शिकायतें मिलने पर हमें यह देखना होता है कि इन शिकायतों में कितनी वास्तविकता है।

यह सराहनीय बात है सूती कपड़ा उद्योग पर से संरक्षण हटाया जा रहा है क्योंकि अब यह उद्योग अपने पांव पर खड़ा होने योग्य हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 और 2, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 1 और 2, अधिनियम तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 1 and 2, The Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री मनुभाई शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

श्री श्यामलाल सर्राफ : इस उद्योग में तकनीकी व्यक्तियों की बहुत कमी है । अतः इस उद्योग में विदेशों से प्रशिक्षण प्राप्त लोग बुलाये जाने चाहिये ।

श्री मनुभाई शाह : मैं इस बात को स्वीकार करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

भारतीय टैरिफ अधिनियम के अन्तर्गत सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION UNDER TARIFF ACT.

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 4 क की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 11 नवम्बर, 1966 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3460 का अनुमोदन करती है जिसके द्वारा चाय पर आरोप्य निर्यात शुल्क में वृद्धि की गई ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : पहले काफी समय तक चाय के मामले में भारत को

एकाधिकार प्राप्त था, किन्तु अब श्री लंका चाय के निर्यात के बारे में हमसे आगे बढ़ गया है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह हमें आश्वासन दें कि निर्यात शुल्क बढ़ा कर हम अपनी चाय की किस्म को भी सुधार सकेंगे ताकि हम विश्व बाजार में चाय का निर्यात करने वाले अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता कर सकें। हमें श्रीलंका तथा अन्य एशियाई देशों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिये कि श्रीलंका तथा भारत जैसे एशियाई देश परस्पर सहयोग की भावना से काम करे और विदेशी मंडियों में प्रचार आदि मामलों में प्रतियोगिता की भावना से काम न लें।

श्री मती सावित्री निगम (बांदा) : यह खेद की बात है कि हमारा चाय का निर्यात घट रहा है। यह महत्वपूर्ण बात है कि अनेक देश इस समय भी हमारी चाय का आयात करते हैं। और उसे अच्छी तरह फिसे बक्सों में बन्द करके अन्य देशों को बेचते है। इस प्रकार वे देश कृत्रिम तरीकों से हमारे निर्यात के क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लेते हैं। हमारा बक्सों में माल बन्द करने का उद्योग बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है। इस ओर न तो वाणिज्य मंत्रालय ने ध्यान दिया है, न उद्योग मंत्रालय ने और न ही अन्य सम्बन्धित विभागों ने। यदि हम बक्सों में बन्द करने के उद्योग में सुधार करें तथा अच्छी तरह चाय को बन्द करके उसका निर्यात करे तो अन्य देश हम से ही सीधा चाय का आयात करेंगे। अतः हमें इस उद्योग की ओर ध्यान देना चाहिए और इसमें सुधार करना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि हम बाजार (मार्केट) का सर्वेक्षण नहीं करते हैं। हमारा संगठन, जिसे नए बाजारों (मार्केटों) के ढूंढ़ने में सक्रिय होना चाहिए था। मन्द गति वाला और निष्क्रिय है। यदि इन सब बातों पर ध्यान दिया जाय और उपयुक्त कार्यवाही की जाय तो मुझे विश्वास कि निर्यात से होने वाली हमारी आय बढ़ जायगी।

श्री सोनावने (पंढारपुर) : मंत्री महोदय ने किन कारणों से निर्यात शुल्क बढ़ाया है? क्या इस से हमारी विदेशी मुद्रा पर जो कि कम हो रही है, असर नहीं पड़ेगा? हमारे निर्यात तथा विदेशी मुद्रा की कमाई में गड़बड़ी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

दूसरी बात यह है कि हमें अन्य देशों की ओर से प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ता है। विदेशों में हमारे प्रचार तंत्र को चाय की खपत बढ़ाने के लिए खूब काम करना चाहिए और इसे और तेजी से करना चाहिये। इस काम में कोई ढील नहीं होनी चाहिये।

Shri Tulsi Das Jadhav (Nanded): What will be the earnings from imposition of export duty on tea? I fear it may lead to increase in the rates of tea in foreign markets and consequently its sale may fall there and our earnings of much-needed foreign exchange may also go down.

Secondly, if the export of tea decreases, its consumption here will increase. But I emphasise upon export of tea even if we are left with no tea for our own onsupmtion. Necessary steps should be taken to increase the export of tea.

श्री दे० ब० पुरी (कैथल) : विदेशों में विशेष रूप से लन्दन में चाय की बिक्री के बारे में मेरा एक सुझाव है। 'सीलोन टी सेन्टर' (लंका चाय केन्द्र) जो कि लन्दन नगर के ठीक बीच में स्थिति है उसका दर्जा हमारे से कहीं बढ़िया है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान उस सुझाव की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके अन्तर्गत रोम में तथा यूरोप के अन्य केन्द्रों में उचित बिक्री केन्द्र बनाने का विचार था ताकि उन स्थानों में चाय की खपत बढ़ाई जा सके।

श्री सोनावने : लन्दन में टी सेन्टर बहुत कुशलता से कार्य कर रहा है ।

श्री मनुभाई शाह : 80 प्रतिशत चाय पर शुल्क में कमी के बारे में संकल्प में उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि कानून के अनुसार ऐसा करना जरूरी नहीं है । जब अवमूल्यन किया गया था तो सरकार ने 2 रुपये प्रति किलोग्राम की विशिष्ट दर से एकसा नियत शुल्क लगाने की घोषणा की थी । चाय के व्यापारियों तथा चाय के निर्यातकों से अभिवेदन प्राप्त हुए थे कि ऐसा विशिष्ट शुल्क उस सस्ती किस्म की चाय के हित के लिए हानिकारक है जो कि हमारे निर्यात का लगभग 70 या 75 प्रतिशत होती है । अतः हमारे यहां मूल्य खण्ड प्रणाली (वैल स्लैब सिस्टम) विशिष्ट तथा यथामूल्य होनी चाहिये जिससे 70 या 75 प्रतिशत चाय निर्यात को 2 रुपये या 1.10 रुपये प्रति किलोग्राम की बजाय केवल 80 पैसे प्रति किलोग्राम का भुगतान करना पड़ेगा । निर्यात शुल्क में वृद्धि के कारण हमारी चाय मंहगी नही हुई बल्कि ऐसा एक प्रकार से निर्यात शुल्कों में कमी के कारण हुआ है ताकि सस्ती चाय निर्यात की जा सके । चाय की कीमतों में वृद्धि केवल दार्जिलिंग चाय जैसी चाय में हुई है और यह वृद्धि 12 रुपये अथवा 20 रुपये अथवा 110 रुपये प्रति किलोग्राम तक हुई है ; और अब शुल्क 2 रुपये से बढ़ा कर जो 3 रुपये किया जायेगा तो वह इतना कम होगा कि इससे निर्यात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । इससे विदेशी मुद्रा अर्जित करने में हमें सभी प्रकार की सहायता मिलेगी । श्रेणीवार मूल्य प्रणाली पहले की विशिष्ट प्रणली से अधिक अच्छी है । यह ठीक है कि चाय के बागानों के मालिकों और निर्यातकों ने नई प्रणाली के बारे में शिकायत की है परन्तु इसे ठीक से चलाया जायगा जिससे अच्छा परिणाम निकले । हमारे कर्मचारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं । मूल्य खण्ड प्रणाली को लागू करने से कलकत्ता में माल के आने जाने में कोई रुकावट नहीं होगी ।

माननीय सदस्य श्री सोनावने ने टी सेन्टर के बारे में कहा था । भारत और लंका के बीच सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं और दोनों देशों के मंत्री लगातार मिलते रहते हैं । गत वर्ष लंका में चाय निर्यात पर हमने उनसे बात चीत भी की थी ।

लन्दन चाय केन्द्र में बराबर सुधार किया जा रहा है और हम वहां उसके विकास का प्रयन्न करेंगे । रोम में भी हमारे राजदूत ने एक नया चाय केन्द्र खोलने के प्रस्ताव भेजे हैं जिन पर काफी विचार हो रहा है ।

निर्यात में वास्तविक अड़चन वास्तव में भारत में खपत और उत्पादन के स्तर के कारण है । भारत में चाय की खपत दस वर्ष पहले के 2 करोड़ 80 लाख किलोग्राम से बढ़कर अब 19 करोड़ किलोग्राम हो गई है । हम अधिक चाय की खपत कर रहे हैं और निर्यात के लिए हमारे पास चाय की मांग कम होती जा रही है । हमें उत्पादन बढ़ाने और खपत को घटाने के प्रयत्न करने चाहिये ताकि निर्यात में वृद्धि हो सके । इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 4 क की उपधारा (2) के अनुसरण में यह सभा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 11 नवम्बर, 1966 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3460 का अनुमोदन करती है जिसके द्वारा चाय पर आरोप्य निर्यात शुल्क में वृद्धि की गई ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

संवि ान (तेईसवां संशोधन) विधेयक
CONSIITUTION (TWENTY-THIRD AMENDMENT) BILL.

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : श्री यशवन्तराव चह्वाण की ओर से श्री मन् मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नरायण सिंह) : इस विधेयक के लिए समय नहीं नियत किया गया है। यह मामला कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष नहीं आया था। अतः मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप सभा की राय ले लें कि इसके लिए कितना समय नियत किया जाय।

श्री स० मो० बनर्जी : तीन घटे नियत किये जायें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं तीन घंटे का समय नियत करता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : जी, हां।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : यह विधेयक इस लिए आवश्यक हुआ है कि जिला न्यायधीशों की नियुक्तियां तथा उनके स्थानान्तरण के आदेशों में कुछ संवैधानिक त्रुटियां पायी गयी थीं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दो निर्णयों में वह विधि निर्धारित की है कि जो न केवल उन मामलों से संबंधित जिला न्यायाधीशों पर लागू होगी क्योंकि बल्कि अन्य न्यायधीशों पर लागू होगी क्योंकि अब सर्वोच्च न्यायालय ने विधी द्वारा एक घोषणा कर दी है जो सभी मामलों पर लागू होगी।

इस विधेयक द्वारा संविधान के किसी अनुच्छेद के मूल उपबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उस से न्यायधीशों की नियुक्ति और निर्णयों और स्थानान्तरण के आदेशों को मान्यता देने का प्रयत्न किया गया है। उस से वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय के दोनों निर्णय कार्यान्वित होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अधीन जिन न्यायाधीशों को नियुक्ति का पात्र नहीं समझा गया, उनकी नियुक्तियां इस विधेयक से विवर्जित की गई हैं। केवल उनके निर्णयों को मान्यता देने का प्रयत्न किया गया है।

और अधिक कुछ कहने से पहले मैं संविधान के उन अनुच्छेदों की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिनके कारण कठिनाई उत्पन्न हुई है और जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का विषय रहे हैं। अनुच्छेद 233 (1) के अन्तर्गत किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा उस उच्च न्यायालय के परामर्श से, जिसका उस राज्य पर क्षेत्राधिकार है, की जायगी। अतः यह प्रश्न उठा कि ऐसी समिति द्वारा न्यायाधीशों को चुनना जिसमें दो न्यायाधीश और न्यायिक सचिव थे, चाहे उच्च न्यायालय ने चुनाव समिति द्वारा बनाई गई सूची राज्यपाल को भेजी हो,

अनुच्छेद 233 (1) के अर्थ में 'परामर्श' माना जायगा या नहीं। दूसरी बात यह थी कि क्या शब्द "पोस्टिंग" (नियुक्ति) में 'स्थानान्तरण' शामिल है अथवा नहीं। विवाद यह था कि "पोस्टिंग" (नियुक्ति) का अर्थ है प्रथम नियुक्ति के पश्चात् किसी व्यक्ति को किसी स्थान में भेजा जाना और इसके पश्चात् किया जाने वाला स्थानान्तरण इसमें शामिल नहीं है।

अनुच्छेद 233 खन्ड (2) के अनुसार कोई व्यक्ति जो पहले से केन्द्रीय अथवा राज्य

सरकार की सेवा में नहीं है तब ही जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जायगा जब वह सात वर्षों से कम अवधि के लिए एडवोकेट अथवा वकील न रहा हो और जिसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की हो।

अतः "बार" से किसी व्यक्ति की सीधी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय की सिफारिश बहुत जरूरी है। परन्तु अनुच्छेद 236 के अनुसार 'जिला न्यायाधीश' की परिभाषा बहुत व्यापक है और इसमें कई प्रकार के न्यायाधीश शामिल हैं। अनुच्छेद 235 के अनुसार जिला न्यायालयों तथा उनके अधीन न्यायालयों पर नियन्त्रण तथा राज्य की न्यायिक सेवा के कर्मचारियों की तथा जिला न्यायधीश से नीचे वाले पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति और उनको छुट्टी की मंजूरी उच्च न्यायालय को प्राप्त होगी। अतः यदि "नियन्त्रण" में 'स्थानान्तरण' भी शामिल है तो स्थानान्तरण केवल उच्च न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। यदि अनुच्छेद 233 में "पोस्टिंग" (नियुक्ति) में स्थानान्तरण शामिल नहीं है तो राज्यपाल स्थानान्तरण का आदेश नहीं हो सकता है। चूंकि उच्च न्यायालयों को जिला न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है, केवल उच्च न्यायालय स्थानान्तरण का आदेश दे सकता है।

सरकार ने, अप्रैल 1953 में, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 309 के अधीन कार्य करने के नियम बनाये थे। इसके अधीन अधीनस्थ न्यायिक सेवा से की जाने वाली पदोन्नतियां और बार से सीधी भर्तियां शामिल थीं। इन नियमों के अधीन एक चयन समिति जिसमें उच्च न्यायालय के दो न्यायधीश और सरकार का न्यायिक सचिव शामिल था, नियुक्ति की गई थी। उस चयन समिति को जिला न्यायाधीशों के पदों के लिए अधिनस्थ न्यायिक सेवा से ही पदोन्नति देने का चयन नहीं करना होता था परन्तु "बार" से सीधी भर्ती भी करनी होती थी। चयन समिति को निर्वाचित उम्मीदवारों की सूची उच्च न्यायालय के सामने रखनी पड़ती थी तथा उच्च न्यायालय को वह सूची राज्यपाल के पास भेजनी होती थी और राज्यपाल को नियुक्ति करनी होती थी। यही प्रक्रिया थी।

न्यायिक सेवा के एक अधिकारी, चन्द्र मोहन ने जिनके अनुसार चयन समिति से परामर्श का अर्थ उच्च न्यायालय से परामर्श नहीं है, नियमों की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक "रिट पिटीशन" (लेख याचिका) प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय ने सम्भवतः इस आधार पर नियमों की वैधता को ठीक बताया कि अन्ततः उच्च न्यायालय को सूची भेजनी होती है। इसमें अनुमोदन अर्न्तनिहित था। परन्तु चन्द्रमोहन ने अपील की और वह मामला सर्वोच्च न्यायालय में ले गए। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि चयन समिति उच्च न्यायालय का स्थान नहीं ले सकती है और इसलिए वे नियम अनुच्छेद 233 (1) तथा अनुच्छेद 233 (2) के अधीन अवैध है।

श्री त्यागी : समिति के दो न्यायधीशो का नामांकन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अथवा स्वयं सरकार द्वारा किया जाता था ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : वे उच्च न्यायालय द्वारा नामांकित किए जाते होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियम जिनके अधीन जिला न्यायाधीशों की भर्ती की जाती है, असंवैधानिक हैं और इनके अन्तर्गत की गई सभी नियुक्तियां अवैध हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में आगे कहा गया है कि संविधान के अनुसार राज्यपाल न्यायिक सेवा से जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से कर सकता है परन्तु

इन नियमों के अनुसार राज्यपाल चयन समिति से परामर्श करके नियुक्ति कर सकता है। जिसमें उच्च न्यायालय का एक प्रकार का 'वीटो' होगा।"बार" से सीधे भर्ती किए गए जिला न्यायाधीशों की स्थिति और भी खराब है क्योंकि राज्यपाल केवल उन एडवोकेट्स को जिला न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जिनकी उच्च न्यायालय ने सिफारिश की हो न कि चयन समिति ने सिफारिश की हो।

अतः परिणाम यह रहा है कि उच्च न्यायालय से परामर्श किए बिना जितनी भी नियुक्तियां की गई हैं, चाहे वे 'बार' से अथवा न्यायिक सेवा से की गई हों, असवैंधानिक हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो भी फैसले दिये हैं, वे सभी रद्द कर दिये जायेंगे तथा उनकी कोई विधि मान्यता नहीं रहेगी।

इसके पश्चात्, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक प्रश्न उठा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून का स्पष्टीकरण किए जाने की तारीख से पूर्व जो फैसले किए गए हैं, क्या वे नागरिकों पर लागू होंगे। इस पर निर्णय करने के लिए एक पूरा 'बैंच' बैठा परन्तु न्यायाधीशों के दृष्टिकोण में असमानता रही। एक न्यायाधीश का यह विचार था कि यद्यपि फैसले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानूनी घोषणा करने के पूर्व यानी तारीख 8.8.1966 से पहले ही किए गए थे तथापि वे लागू नहीं होंगे। परन्तु न्यायाधीशों की बहुसंख्या ने कहा कि जिस समय में कोई न्यायाधीश अपने पद के नाते कार्य करता है तथा वह वस्तुतः (डी फैक्टो) न्यायाधीश है तथा उसकी नियुक्ति का दोष प्रकट नहीं किया जाता है तो उसके फैसले नागरिकों के लिये बाध्य होंगे। इस पर सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के साथ विचार किया जाए जिसमें कहा गया था............

श्री स० मो० बनर्जी : वह क्या मामला था ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : वह जे० पी० मित्तल का मामला था। उस मुकदमे में यह विवाद था कि क्या उस न्यायाधीश के कृत्यों को वैध माना जायगा जो सेवा निवृत्ति (सुपर एवुऐशन) की आयु से गुजरने के बाद भी सेवा में है।

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से अपील करने की अनुमति दे दी गई है। या तो अपील दायर कर दी गई होगी और या दायर की जाने वाली होगी।

मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य तारीख 8.8 1966 को ध्यान में रखें। यदि उस बहुसंख्यक फैसले को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बहाल रखा जाता है तो 8.8.1966 से पहले किए गए फैसले विधिमान्य होंगे। परन्तु यदि 8.8.1966 के बाद दोष प्रकट किए जायेंगे तथा प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि उच्च न्यायालय के साथ कोई परामर्श नहीं किया गया है जैसा कि संविधान द्वारा अपेक्षित है तो फैसला विधिमान्य नहीं समझा जायगा।

जहां तक पिछले भाग का सम्बन्ध है 1954 के पश्चात् की गई नियुक्तियों को विधिमान्य बनाना आवश्यक है क्योंकि यदि नियुक्तियां विधिमान्य नहीं हैं तो 8.8.1966 के बाद भी वे फैसले नहीं दे सकते थे तथा उनमें से आज पांच न्यायाधीश उच्च न्यायालयों में हैं। उन्हें इसलिए नियुक्त किया गया था कि जिला न्यायाधीशों के रूप में उनकी नियुक्तियां विधिमान्य हैं।

इन दोषों को दूर करने के लिये केवल नियुक्तियों तथा फैसलों को विधिमान्य बनाना आवश्यक हो गया है। ऐसा नहीं है कि विधेयक द्वारा कानून में किसी परिवर्तन के करने की चेष्टा की गई है कि भविष्य में भी ऐसी नियुक्तियां की जा सकें।

नई नियुक्तियों के लिये नए नियम बनाने होंगे। इस विधेयक द्वारा 8-8-1966 से पहले की गई नियुक्तियां विधिमान्य बनाई जायेंगी और साथ ही उन न्यायाधीशों द्वारा दिये गए फैसलों तथा की गई अन्य कार्यवाहियों को भी। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि तबादलों को भी विधिमान्य बनाया जाय क्योंकि उच्च न्यायालय की बजाय राज्यपाल ने तबादले किये है। सर्वोच्च न्यायालय का एक और फैसला है कि 'नियंत्रण' शब्द में स्थानान्तरण' शामिल है। 'नियुक्ति' में 'स्थानान्तरण' शामिल नहीं है। स्थिति यह हैं।

यह गम्भीर त्रुटि केवल सरकार ने ही नहीं बल्कि उच्च न्यायलय ने भी की है। दोनों ही इस भरोसे में कार्य कर रहे थे कि जब चयन समिति सूची तैयार करती है और चयन करती है तो उच्च न्यायालय द्वारा चयन को मंजूर कर लिया गया माना जाय और इस प्रकार उच्च-न्यायालय से परामर्श हो जाता है। यह गलती 1954 से चल रही है। किसी ने भा इस मामले को किसी न्यायालय में नहीं उठाया। यह गलती कई राज्यों में है, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं हुई है। परन्तु इस गलती के लिये चाहे कोई भी जिम्मेदार हो, लोगों को इसका परिणाम नहीं भुगतना चाहिये। चूंकि उच्च न्यायालय और राज्यपाल दोनों ही गलतफहमी में कार्य करते रहे हैं, इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा जानबूझ कर किया गया था।

उत्तर प्रदेश से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1954-57 में चयन समिति ने 38 व्यक्तियों को और उन्हीं वर्षों में सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों में से 11 व्यक्तियों को पदोन्नति के लिये चुना था। न्यायाधीशों की प्रशासनिक समिति की सिफारिश पर 29 व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया था। केवल प्रशासन न्यायाधीश की सिफारिश पर 116 व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया था। मामलों का एक और समूह भी था जिसमें लगभग 100 न्यायाधीशों को सामान्य प्रणाली से चयन समिति द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था अपितु दण्ड प्रक्रिया संहिता द्वारा उन न्यायाधीशों को सैशन्ज न्यायाधीश की शक्तियां दी गई थी और तब प्रशासन न्यायाधीश की सिफारिश पर उन्हें जिला न्यायाधीश के समकक्ष मान लिया गया था।

प्रश्न न्यायाधीशों की संख्या नहीं है। 1954 और 1957 से अब तक अनेक फैसले किये गए होंगे। यदि पिछली नियुक्तियों, फैसलों और स्थानान्तरण के आदेशों को विधिमान्य नहीं बनाया जाता तो, सभी मुकदमों की दोबारा सुनवाई करनी होगी। 8-8-1966 के बाद के फैसले रद्द हो जायेंगे। इससे पहले के फैसले भी रद्द हो जायेंगे यदि जे० पी० मित्तल के मुकदमें में पिछले फैसलों को अथवा इलाहाबाद की पूरी बैंच के असम्मति के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय स्वीकार कर लेता है। पुनः सुनवाई करने के लिये मुकदमों की संख्या बहुत अधिक होगी। ऐसे मामले होंगे जिनमें जायदाद का हस्तांतरण हो चुका होगा, आदि। इस अनिश्चितता को दूर करना बहुत जरुरी है। लोगों की कठिनाई की ओर ध्यान दिया जाय। यदि 1954 के पश्चात् दिए गए फैसलों को रद्द करके उन मुकदमों की पुनः सुनवाई की जायेगी तो क्या स्थिति होगी ?

मैं निवेदन करता हूं कि सभा इस विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूर करे।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने नियम 184 के अधीन एक प्रस्ताव रखा था कि महान्यायवादी (अटर्नी जनरल) को बुलाया जाना चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 88 के अधीन वह सभा में भाषण दे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह प्रस्ताव मिल गया है और मैं इसे सभा के सामने रखूंगा। मैं इसे अनुमति दे रहा हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : आप पहले प्रस्ताव को अनुमति दे रहे हैं या दूसरे प्रस्ताव को

अध्यक्ष महोदय : मैं दोनों को अनुमति दे रहा हूं।

क्या श्री यशपाल जी अपना प्रस्ताव पेश कर रहे हैं ?

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं प्रस्ताव नं० 4 को प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसमें यह मांग की गयी है कि विधेयक को उस पर 31 मार्च, 1967 तक जनता की राय जानने के लिये परिचालित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह बाद में लिया जायेगा। अब श्री बनर्जी का यह प्रस्ताव है कि संविधान (तेइसवां संशोधन) विधेयक पर अपनी राय व्यक्त करने के लिये अटारनी जनरल को लोक सभा में बुलाया जाय और सरकार उस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करे। क्या आप इस प्रस्ताव को पेश कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : जी, हां, मैं पेश कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री यशपाल जी, क्या आप अपना यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं कि विधेयक को उच्चतम न्यायलय को उसकी राय के लिये सौंप दिया जाय।

श्री यशपाल सिंह : मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसके पश्चात श्री यशपाल सिंह का प्रस्ताव विधेयक को उच्चतम न्यायालय को भेजने का है और एक श्री बनर्जी का है कि विधेयक को उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिये राष्ट्रपति को भेजा जाय। क्या दोनों सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं।

श्री यशपाल सिंह : जी, हां।

श्री स० मो० बनर्जी : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : ये सब प्रस्तुत किये गये समझे जायें।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं प्रस्ताव संख्या 6 और 7 प्रस्तुत करता हूं।

श्री यशपाल सिंह : मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ये सब प्रस्ताव सभा के सामने हैं और अब इन पर चर्चा की जायेगी श्री नाथ पाई।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मुझे मंत्री महोदय की गलत बयानी से भरा वक्तव्य सुन कर दुख हुआ है। उन्होंने उद्देश्य तथा कारन विवरण में यह बताया है कि जिला न्यायाधीशों द्वारा दिये गये निर्णय, आदेश आदि की विधिमान्यता के सम्बन्ध में संदेह की स्थिति से एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है और जिला न्यायालयों में काम प्रायः ठप्प सा हो गया है। ये दोनों बात सत्य नहीं है।

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए।
Shri Sham Lal Saraf in the chair]

केवल कुछ ही न्यायाधीश ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति को अमान्य घोषित किया गया है। ऐसी

बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश का पूरे न्यायांग में ही कार्य बन्द पड़ा है। ऐसे केवल 11 न्यायाधीश है जिनमें से 4 पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। दूसरे, मंत्री महोदय ने कानून की भी गलत व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि उन न्यायाधीशों द्वारा दिये गये निर्णय तथा आदेश में अमान्य होंगे जिनकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय द्वारा अनियमित बताई गयी है। परन्तु भारत में इस सम्बन्ध में स्पष्ट विधि है कि जो निर्णय किसी न्यायाधीश द्वारा एक बार दे दिये गये है, वे अमान्य नहीं होंगे, भले ही उस न्यायाधीश की नियुक्ति अमान्य ठहरा दी जाये। जस्टिस रामचन्द्र अय्यर का एक ऐसा ही उदाहरण है। श्री अय्यर यह बहाना करके कि उनकी सेवा निवृत्ति की आयु अभी नहीं हुई हैं, मद्रास उच्च न्यायालय में अपने पद पर कार्य करते रहे। बाद में उन्हें सेवा से निवृत्त होना पड़ा परन्तु उनके द्वारा दिये गये निर्णयों को अमान्य नहीं किया गया। और ज्यों के त्यों मान्य ही रहे।

इस संशोधन के द्वारा मंत्री महोदय ऐसी व्यावस्था बनाना चाहते हैं। जिससे देश की न्यायपालिका सदैव कार्यपालिका के प्रभाव में रहे और इस प्रकार न्यायपालिका की स्वतन्त्रता समाप्त हो जायेगी तथा देश के विधान और संविधान की रक्षा न कर सकेगी।

कार्यपालिका द्वारा की गई अनियमितताओं और अवैध कार्यों को विनियमित करने के लिये संविधान का संशोधन नहीं किया जाता है। संविधान में संशोधन केवल उसी समय किया जाता है जबकि वर्तमान नियम सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अपर्याप्त हों। सरकार संविधान में सशोधन करने सम्बन्धी उपबन्ध अनुच्छेद 268— का उपहास कर रही है।

उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने विधि भाषा आयोग के सामने साक्ष्य देते हुए कहा है कि अगले दस वर्षों में जब पुरानी पद्धति के अनुसार नियुक्त किये गये न्यायाधीश सेवा निवृत्त हो जायेंगे तो न्यायपालिका की स्वतन्त्रता समाप्त हो जायेगी और उच्च-न्यायलय ऐसे न्यायाधीशों द्वारा भर जायेंगे जो कि राजनीतिज्ञों द्वारा नियुक्त किये जायेंगे यह एक स्पष्ट चेतावनी है। सभा को संविधान तथा न्यायपालिका की स्वतन्त्रता में दखल देने वाले ऐसे मिथ्या संशोधन का भागी नहीं होना चाहिये। सर्वप्रिय, ऐसे केवल कुछ ही न्यायाधीश हैं जो इससे प्रभावित हैं और उनको अन्यत्र नियुक्त किया जा सकता है। फैसलों तथा आदेशों के अवैध होने की बात का वर्तमान विधि को देखते हुए समर्थन नहीं किया जा सकता है। ये निर्णय प्रथम दृष्टया या अपने आप में अमान्य नहीं है। केवल ऐसे मामलों को छोड़कर जहां निर्णय ऐसे न्यायाधीश द्वारा दिया गया था जिनकी नियुक्ति पर आपत्ति की गई थी, ऐसे निर्णय मान्य रहेंगे।

हमें संविधान को एक दलीय प्रश्न नहीं समझना चाहिए जब भी संविधान पर आंच ले आती है हमें राजनीतिक दलों के प्रति अपनी निष्ठा को भूल कर संविधान के प्रति निष्ठा को स्मरण रखना चाहिये क्योंकि संविधान के अन्तर्गत ही ससद कार्य करती है।

श्री जोकीय आल्वा (कनारा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु मैं सरकार से अनुरोध करुंगा कि वह संविधान में कम से कम संशोधन करे क्योंकि संविधान एक पवित्र दस्तावेज़ है। संविधान में संशोधन केवल तब किया जाना चाहिये जबकि ऐसा करना नितान्त आवश्यक हो। ऐसा करने से हमारे संविधान को बल मिलेगा।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्य में दखल देने को मैं एक गम्भीर अपराध समझता हूं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय सुरक्षा के एकमात्र स्रोत हैं और वे हमारे लोकतन्त्र के अन्तिम

आधार हैं। उच्च न्यायाधीशों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में यदि ऐसे व्यक्तियों को न्यायाधीश नियुक्त किया गया जिसके चरित्र पर सन्देह है तो इससे संसद की प्रतिष्ठा भी गिरेगी।

न्यायाधीशों का आचारण और उनकी नियुक्तियां एक महत्व का विषय है। हमें न्याय के स्रोत को गंदा नहीं करना चाहिये और वह स्रोत है नियुक्तियां। न्यायाधीशों की नियुक्तियां सर्वोत्तम परम्पराओं के अनुकूल की जानी चाहिये और इस बारे में भाई भतीजावाद का बिल्कुल आश्रय नहीं लिया जाना चाहिये। दुर्भाग्य से मद्रास में एक ऐसे व्यक्ति को मद्रास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया जो उस पद के लिये योग्य नहीं था और जिसकी नियुक्ति के लिये कानून को बदला गया। मद्रास से प्रकाशित 'हिन्दू' के सम्पादकीय में इसकी कड़ी आलोचना की गई थी और कहा गया था कि इस प्रकार की प्रवृत्तियों को रोका जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त आज हमें साहसी न्यायाधीशों की आवश्यकता है।

बम्बई उच्च न्यायालय में मानहानि के एक मामले में वादी को कटघरे में नहीं लाया गया था। ऐसा किसी मामले में नहीं किया जाता है क्योंकि मानहानि के मामले में वादी की परीक्षा होनी आवश्यक है। जब मामला चल रहा था तो फैसला करने वाले न्यायाधीश के एक भतीजे द्वारा दूसरे स्थान से 10 लाख रु० ऋण के रूप में ले लिये गये थे। ये ऐसी चीजें हैं जिनको कभी सहन नहीं किया जा सकता। बड़े खेद की बात है कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने विवचन बोस जांच में अन्तर्ग्रस्त एक व्यक्ति द्वारा उनके सम्मान में दी गई चाय पार्टी में भाग लिया। ब्रिटेन में जहां कि उच्च परम्पराएं हैं ऐसा कभी भी नहीं होता है।

जिला न्यायाधीशों और दण्डाधिकारियों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में हमें उच्चतम परम्पराओं को बनाये रखना चाहिये और सांवैधानिक उपबन्धों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। पद के लिये केवल उनकी सक्षमता पर ही विचार किया जाना चाहिये। ये न्यायाधीश योग्य, सश्रम और सच्चे होने चाहिये और इनका चरित्र बलवान होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Sarjoo Pandey (Rasna): It is a matter of great regret that the hon. Law Minister has brought this Constitution Amendment Bill. As Shri Nath Pai said Government is treating the Constitution very lightly. They have amended it very frequently. The Constitution should be amended only when it is warranted by the changed social conditions to do so. Government is bringing such Bills only to legalise the irregularities committed by it.

There is no law and order in U. P. That State Government is a good-for-nothing Government. The State Government has reduced the judiciary to a mere mockery. It is regrettable that instead of punishing those who had made the appointments of Judges in a wrong way, the Government has brought forward a Bill to amend the Constitution.

I urge upon the Government not to proceed with the Bill. Opinion of Supreme Court should be obtained on the question of the validity of the judgements passed by the District Judges whose appointments had been rendered invalid. With these words I oppose the Bill.

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर): संविधान संशोधन विधेयक के पुरःस्थापन किये जाने के बाद उसको कुछ समय के लिये एक ओर रख दिया गया था और तब आशा बन्धी थी कि संविधान को अपेक्षित सम्मान दिया जायेगा।

क्या सभा के सामने रखे गये तथ्य सत्य हैं और क्या उन तथ्यों को देखते हुए संविधान में संशोधन करना आवश्यक और उचित है? सरकार ने यह आशा बंधाई थी कि अधिवक्ता की अनुपस्थिति में यह मामला श्री एम० सी० सीतलवाद को उनकी राय जानने के लिये भेजा जायेगा। मंत्री महोदय बतायें कि क्या उनकी राय ले ली गई और क्या विधेयक को उनकी राय के अनुकूल लाया गया है।

कच्ची रुई के संभरण की स्थिति के बारे में विवरण

STATEMENT RE: RAW COTTON SUPPLY SITUATION

श्री मनु भाई शाह : श्री मन्, मैं एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 7513/66)

संविधान (तेईसवां संशोधन) विधेयक–जारी।

CONSTITUTION (TWENTY THIRD AMENDMENT) BILL CONT.

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से संविधान का उल्लंघन किया है और इसका अपमान किया है। अनुच्छेद 233 और 235 बहुत स्पष्ट हैं और वे स्पष्ट रूप से न्याय अधिकारियों के सम्बन्ध में एक विशेष ढंग से कार्यवाही करने का राज्य सरकारों पर दायित्व डालते हैं। राज्य सरकार ने संविधान के बिल्कुल प्रतिकूल कार्यवाही की है। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय से तिरस्कार पूर्ण तथा निरादरपूर्ण ढंग से व्यवहार किया है। अब सरकार इस विधेयक द्वारा उस विधेयक को मान्यता देना चाहती है। जो गलत तथा गैर-सांवैधानिक है। सीधे भर्ती किये गये 10 न्यायाधीशों में से जिनके मामले संदेहास्पद हैं कुछ की भर्ती उस समय की गई थी जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित पड़ा था। ऐसा करना राज्य सरकार के लिये उचित न था। सरकार कुछ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति अथवा उनकी नियुक्ति की मान्यता के बारे में इतनी चिंतित क्यों है, यहां तक कि सांवैधानिक संशोधन लाना चाहती है। यह कहना अनुचित है कि उत्तर प्रदेश में न्यायालयों का काम ठप्प हो गया है। वास्तव में इन चार जिला न्यायाधीशों के न्यायालय जिनकी नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित कर दी गई है, काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में न्यायपालिका सामान्य रूप से काम कर रही है।

सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिये और मामले को वापस ले लेना चाहिये।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) :

श्री मन्, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने उत्तर प्रदेश सरकार पर इन नियमों के बारे में असद् भाव का आरोप लगाया है। यदि उनको सही तथ्यों की जानकारी हो जाय तो वे स्वयं मान जायेंगे कि उनका संदेह निराधार है 1951 में जिला न्यायधीशों की नियुक्ति से सम्बन्धित कानून बनाये गये थे। ये नियम महाधीश के पूरे समर्थन के पश्चात् तथा संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाये गये थे। इन नियमों पर बिना किसी विरोध के पिछले 15 वर्षों से कार्य किया जा रहा था। पूरे 15 वर्ष तक उन पर कोई

आपत्ति नहीं उठाई गई। जब आपत्ति उठाई गई तो उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि नियम विधिमान्य है और अनुच्छेद 309 के अधीन ठीक ही बनाये गये है। मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास गया तो अनुच्छेद 233 के शब्दों की एक व्याख्या द्वारा प्रतिकूल फैसला दिया गया। अतः दो न्यायालयों के फैसलों में अन्तर था। इसलिये यह तर्क ठीक नहीं है कि ऐसे कानून बनाने के लिये सरकार के पास कोई कानूनी आधार नहीं था।

प्रतिदिन मामले सर्वोच्च न्यायालय के पास जाते हैं और उच्च न्यायालों के निर्णयों को एक तरफ रख दिया जाता है जब से संविधान बना है यह चीज मानी गई है कि संसद् को मूल अधिकारों में सशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। इनको कनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है और इन्हें राजस्व का काम सौंपा जाता है। इन अधिकारियों को भी न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है जो कि संविधान के अनुच्छेद 233 के प्रतिकूल है। दूसरा कारण यह है कि राज्यपाल द्वारा दो न्यायाधीशों से नहीं, अपितु उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करना चाहिये। इस समिति में उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश और उत्तर प्रदेश के कानून सम्बन्धी सचिव थे। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि इसमें न्यायालय के पूरे न्यायाधीश होने चाहिये। इस समिति ने कभी भी कोई निर्णय नहीं किया। इसने अपनी सिफारशें पूरे न्यायालय के सामने भेज दी। पूरे न्यायालय की स्वीकृति से मामला राज्यपाल के पास गया और ये नियुक्तियां की गई। किन्तु उच्चतम न्यायालय कार्यपालन को आधार नहीं बनाता अपितु संसद द्वारा पारित रूप में सविधि की व्याख्या को अपना आधार बनाता है और अपने विवेक के अनुसार उसने यह मत दिया कि संविधान के उस अनुच्छेद का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है।

पिछले 15 वर्षों में अनेक न्यायाधीश नियुक्त किये गये और उन्होंने हजारों मामलों का फैसला किया है। जहां तक उच्चतम न्यायालय के इन दो निर्णयों का सम्बन्ध है, इनमें कहा गया है कि यदि यह साबित हो जाय कि किसी न्यायाधीश की नियुक्ति गलत हुई है तो उसके द्वारा दिये गये निर्णय पर आपत्ति की जा सकती है। एच० कुमार बोस बनाम ज्योति प्रकाश और ज्योति प्रकाश बनाम चीफ जस्टिस के मामले में जस्टिस गजेन्द्रगड़कर ने कहा था कि इस मामले में आपत्ति उठाने के लिये सिद्धान्तः प्रथम दृष्टया मामला बन सकता है। इस निर्णय में कहा गया है कि एक गम्भीर स्थिति पैदा हो सकती है क्योंकि संविधान के अनुसार 60 वर्ष के बाद कोई व्यक्ति न्यायधीश के पद पर नहीं रह सकता है।

उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये दो निर्णय दिये जाने के बाद भी क्या यह सभा कह सकती है कि इन न्यायाधीशों द्वारा दिये गये ये निर्णय बिलकुल उचित है। भारत में उच्चतम न्यायालय का निर्णय ही अन्तिम माना जाता है और न कि किसी उच्च न्यायालय का। पिछले पन्द्रह वर्षों से नियमों के अनुसार इसी प्रकार कार्य चलता रहा है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

सभा को इन नियुक्तियों के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

कुछ सदस्यों ने आपत्ति उठाई है कि संविधान में बार बार संशोधन करना उचित नहीं है तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं

केवल यह कहना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय के इन निर्णयों से काफी लोगों को हानि पहुंचेगी इन परिस्थितियों में सभा को न्यायाधीशों की नियुक्तियों तथा उनके निर्णय को मान्य ठहराना चाहिये और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के परिणाम स्वरूप जो संकट पैदा हो गया है उसे दूर करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री नि० च० चटर्जी (बर्दवान) : उत्तर प्रदेश में गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। किन्तु यह समस्या श्रीमती सुचेता कृपालानी अथवा उसके मंत्रिमंडल ने पैदा नहीं की है। यह पहले से ही चली आ रही है। 1951 में, जब स्वर्गीय पंडित पन्त उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उत्तर प्रदेश न्यायापालिका सेवा नियम बनाये गये थे। उस समय यह अनुभव किया गया था, स्थिति को ठीक करने के लिये कोई कार्यवाही की जाये। यदि सरकार इस प्रकार का विधेयक, न लाई होती तो वह अपने कर्त्तव्य को पूरा करने में असफल मानी जाती।

मैं भी इस पक्ष में नहीं हूं कि संविधान में बार बार संशोधन किया जाये। पहले भी इसी प्रकार एक मामला इस सभा में आया था। उस पर महान्याय वादी की राय ली गई थी और उसके बाद विधेयक पारित किया गया था। उच्चतम न्यायालय के निर्णय की आलोचना करना उचित नही है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का निर्णय अन्तिम है और सभी उसे मानने के लिये बाध्य हैं। हो सकता है कि कारण और उद्देश्यों के विवरण में जो कुछ कहा गया है वह बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। किन्तु एक बात ठीक है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है और कई निर्णयों, डिक्रियों और आदेशों की मान्यता के बारे में सन्देह पैदा हो गये हैं। 1951 के बाद तीन बार न्यायिक पदों पर नियुक्तियां की गई हैं 1-1-1953 से अब तक तीन प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्तियां की गई है और वे विभिन्न जिलों में डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज के तथा अन्य रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके निर्णयों को चुनौती दी जा रही है। उनके द्वारा दिये गये निर्णय, पास की गई डिक्रियां तथा आदेश, जो हजारों की संख्या में हैं, खतरे में हैं और यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि सम्पूर्ण स्थिति का स्पष्टीकरण किया जाये।

इन पदों पर जो व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं, वे पूरी तरह योग्य, सक्षम तथा अर्हता प्राप्त है। उनकी योग्यता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है। वास्तव में उनकी नियुक्ति के बारे में उच्च न्यायालय से सलाह लेनी चाहिए थी, किन्तु सलाह न लेकर राज्यपाल ने इन न्यायाधीशों को नामजद कर दिया। यही एक थोड़ी अनियमितता इस मामले में रह गई है जिससे इस प्रकार की गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। अब वस्तु स्थिति यह है कि मान लिया जाय यदि वे हटा दिये जायें, तो सम्पूर्ण न्यायपालिका के ढांचे को पुनर्गठित करना पड़ेगा। इस का प्रभाव न केवल उन 17-18 व्यक्तियों पर पड़ेगा, जिनको लेकर यह विवाद पैदा हुआ है, अपितु अन्य व्यक्तियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इन व्यक्तियों के द्वारा किये गये हजारों निर्णय रद्द करने पड़ेगे। इससे न्यायाधीशों तथा अन्य सम्बन्धित विवादों को, जिनके मुकदमों का निर्णय इन न्यायाधीशों ने किया है, परेशानी उठानी पड़ेगी। इन सबको परेशानी से बचाने के लिये तथा स्थिति में सुधार करने के लिये हमें कोई उपाय निकालना ही चाहिये। हमें उनकी नियुक्तियों को निदेशक समझना चाहिये न कि आदेशक। इस सिद्धान्त को "मोंन्ह्वील" के मामले में हाउस ऑफ

लाईस ने 1917 में, फेडरल कोर्ट ने 1945 में और उच्चतम न्यायालय ने एक मुकदमें में, बहाल रखा है ।

इस मामले में महान्यायवादी अथवा उच्चतम न्यायालय की राय ली जाती तो अच्छा था, किन्तु इसके लिये समय नहीं है । अतः इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि सम्पूर्ण न्याय-पालिका पद्धति को ठीक किया जाये ।

वास्तव में 13 वर्षों से उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश और कानून सम्बन्धी सचिव न्यायाधीश की नियुक्ति करते आये हैं । किन्तु इस मामले में ऐसा नहीं किया गया है । यदि उनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 233 के अन्तर्गत भी की जाती तो भी मुख्य न्यायाधिपति अथवा पूरी बैंच दो न्यायाधीशों को नामजद करते । इस मामले में भी दो वरिष्ठ न्यायाधीश तथा कानून सम्बन्धी सचिव चयन समिति में थे । वास्तव में कानून सम्बन्धी सचिव को भी व्यवहारिक रूप में न्यायाधीश कहा जा सकता है । इस मामले में उन दोनों न्यायाधीशों का पक्ष प्रबल रहा होगी और उन्हीं की राय के अनुसार चयन किया गया होगा ।

यद्यपि इन न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुचित तरीके से की गई है, फिर भी उनकी योग्यता उनके पिछले रिकार्ड और उनकी अर्हता आदि को देखते हुए तथा हजारों लोगों को अनावश्यक असुविधाओं से बचाने के लिये जो कुछ भी किया गया है उसे विधि सम्मत बनाया जाये । अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री चटर्जी की इस बात से सहमत हूं कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय अन्तिम होता है उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है । यह ठीक है कि कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति सविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार विधि सम्मत नहीं है । यह एक प्रकार की तकनीकी त्रुटि है । उच्चतम न्यायालय का भी यही मत है । अब हमने देखना यह है कि क्या हमें उनकी नियुक्ति अवैध घोषित करके उन्हें अपने पदों पर से हटा कर उनके द्वारा दिये गये निर्णयों को अवैध घोषित करना चाहिये अथवा इस त्रुटि को किसी और ढंग से सुधार कर हजारों लोगों को परेशानी से बचाना चाहिए ।

वस्तु स्थिति यह है कि हम किसी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति की गलती के कारण दण्ड नहीं दे सकते हैं यदि हम यह मान लें कि उनके निर्णय गलत है इसलिये उन्हें अवैध घोषित किया जाये, तो इससे हजारों लोगों को परेशानी हो जायेगी और इससे गड़बड़ी पैदा हो जायेगी । इस विधेयक के द्वारा केवल उन व्यक्तियों को भी जो संविधान के अन्तर्गत पात्र अथवा अपात्र हैं, विधिसम्मत किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि यह उचित ही है क्योंकि यह केवल किसी व्यक्ति को संरक्षण देने का प्रश्न नहीं है, वास्तव में यह विवादकों को परेशानी से बचाने का प्रश्न है । अन्यथा उन हजारों लोगों को हानि उठानी पड़ेगी जिनके मुकदमों के निर्णय इन न्यायाधीशों द्वारा दिये गये हैं । यदि इस समय इस गलती को सुधार कर उनकी नियुक्तियों को विधि सम्मत नहीं बनाया गया, तो भविष्य में कोई व्यक्ति न्यायालयों के निर्णयों में विश्वास नहीं करेगा । इस विधेयक द्वारा पिछली गलती को सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है । इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : इस प्रकार का विधेयक सभा में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये था । क्या उत्तर प्रदेश प्रशासन के कुछ अधिकारियों द्वारा जान-बूझ कर की गई गलतियों को सुधारने के संविधान में संशोधन किया जा रहा है । यह कहा जा रहा है कि यदि

संशोधन नहीं किया जायेगा तो उन न्यायाधीशों द्वारा दिये गये निर्णयों के बाद में अमान्य हो जाने की सम्भावना है। परन्तु इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें मान्य बतलाया है। यह कहना केवल कल्पना मात्र है कि उच्चतम न्यायालय इन निर्णयों को रद्द कर देगा। हमें इस सम्बन्ध में तभी विचार करना चाहिये था, जब कि किसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो। उसके लिये अभी से संविधान में संशोधन करने की न तो कोई आवश्यकता है और न कोई औचित्य ही। यदि किसी प्रकार की कोई आकस्मिक स्थिति पैदा ही हो जायेगी जिससे जनता के हितों की हानि हो, तो यह सभा जनता के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार के साथ है।

हमें उन लोगों की समस्याओं को यहां पर नहीं लाना चाहिये जिन लोगों पर इन न्यायाधीशों द्वारा पास की गई डिक्रियों का प्रभाव पड़ा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक पास की गई डिक्रियां कानून की दृष्टि से संगत है। कानून की दृष्टि में केवल एक बात विधिसम्मत नहीं है, और वह है इन 11 न्यायाधीशों की नियुक्ति। संविधान में संशोधन करके सभा को उनकी नियुक्ति को विधिसम्मत नहीं बनाना चाहिये। सभा के लिये, जिसके सामने भारत की सम्पूर्ण जनता की समस्यायें है, यह मामला एक बहुत ही छोटा मामला है। यदि उनकी डिक्रियों को मान्यता दी जानी है, तो उसे एक पृथक कानून द्वारा जिसे उत्तर प्रदेश के जिला न्यायाधीशों द्वारा पास की गई डिक्रियों का मान्यीकरण विधेयक कहा जाये, किया जाये। संविधान में संशोधन करके ऐसा करना उचित नहीं है क्योंकि हम संविधान को बहुत उच्च स्थान देते हैं और ऐसे छोटे मामले के लिये संविधान में संशोधन नहीं किया जाना चाहिये।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : विरोधी पक्ष के सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध किया है किन्तु उन्होंने यह समझने का प्रयत्न नहीं किया कि यदि संविधान में इस विधेयक द्वारा संशोधन नहीं किया गया तो गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। अन्य सदस्यों की भांति मैं भी इस बात के पक्ष में हूं कि संविधान में बार बार संशोधन करना अच्छा नहीं है। मंत्री महोदय भी इस बात के पक्ष में हैं। वह अत्यन्त अनिवार्य हो जाने के कारण ही अनिच्छा से इस विधेयक को सभा के सामने लाये हैं।

यह ठीक है कि जो लोग इस गलती के लिये दोषी हैं उनको इसके लिये दंड दिया जाना चाहिए और मैं उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये गृहकार्य मंत्री से अनुरोध करूंगा। किन्तु केवल उनके विरुद्ध कार्यवाही करने मात्र से समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। संविधान में इस संशोधन को किये बिना उन लोगों की समस्या हल नहीं हो सकती है। जिन पर इन निर्णयों का प्रभाव पड़ा है। यही वास्तविक कठिनाई है। यदि यह संशोधन नहीं किया गया तो एक ऐसी नई स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जो वर्तमान स्थिति से कहीं अधिक गंभीर होगी।

अभी हमारे संविधान को बने अधिक समय नहीं हुआ है। लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया की यह एक विशेषता है कि न्यायपालिका और विधान मंडल एक दूसरे की गलती में सुधार करते है। हमें इस भावना को स्वीकार करना चाहिये। इस प्रकार की प्रक्रिया कुछ समय तक और चलती रहेगी। एक समय ऐसा आयेगा जबकि हमें फिर संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बड़े (खारगोन) : मैं इस विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं क्योंकि कांग्रेस सरकार इस बात की अभ्यस्त हो गई है कि वह पहले गलतियां करती है और फिर उनको सुधारने के लिये सभा के सामने लाती है।

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में स्थिति का सही वर्णन नहीं किया गया है। उसमें केवल यह कहा गया है इन निर्णयों के परिणाम स्वरूप गंभीर स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि इन जिला न्यायाधीशों द्वारा दिये गये निर्णायों, पास की गई डिक्रियों तथा आदेशों की मान्यता के प्रति संदेह प्रकट किया जा रहा है। जब कि वास्तविक स्थिति यह है कि न्यायाधीशों के निर्णयों को कभी रद्द अथवा अवैध घोषित नहीं किया जाता है। फिर भी मंत्री महोदय कहते है कि उन्हें अवैध घोषित किया जायेगा। यदि इस मामले में कोई सदेह ही है तो क्यों न मामले को उच्चत्तम न्यायालय के पास अपनी राय देने के लिये भेजा जाये? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले ही निर्णय दिया है कि इन न्यायाधीशों के निर्णय अमान्य नही है।

यह कहना भी गलत है कि उत्तर प्रदेश में जिला न्यायालयों में काम प्रायः ठप्प हो गया था। मेरी जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 100 जिला न्यायाधीश हैं। उनमें से केवल 11 न्यायाधीशों पर इन निर्णयों का प्रभाव पड़ा है। श्री रघुनाथ सिंह ने भी यह स्वीकार किया है कि इनका प्रभाव केवल 11 न्यायाधीशों पर पड़ेगा।

संविधान के अनुसार न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र से स्वतंत्र होनी चाहिए। किन्तु इस विधेयक द्वारा जो उपबन्ध किया जा रहा है वह ठीक इसके विपरीत है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का हाथ रहना उचित नहीं है। यह शरारत पूर्ण उपबन्ध है क्योंकि इसके द्वारा कार्यपालिका का न्यायपालिका के ऊपर प्रभुत्व बना रहेगा। देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक ओर तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की जोरदार मांग की जा रही है और दूसरी ओर सरकार इस प्रकार का संशोधन लाकर न्यायपालिका को कार्यपालिका के आधीन करना चाहती है। सरकार को न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिये उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

यदि संविधान में यह संशोधन कर दिया गया तो न्यायपालिका के क्षेत्र में राजनीति आजायेगी। न्यायाधीश मुख्य मंत्रियों के हाथ की कठपुतली मात्र रह जायेगे। इस संशोधन के द्वारा सरकार संविधान में एक खतरनाक उपबन्ध कर रही है जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता समाप्त हो जायेगी।

अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री कृ० च० शर्मा (सरधना) : उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित मंत्रियों तथा उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कुछ भी किया वह न्यायपालिका में कर्मचारियों को देखते हुए किया।

जिन न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया हैं वे सब अर्हेता प्राप्त है और उन्हे प्रमुख अधिकारियों ने नियुक्त किया है। इसमें केवल एक त्रुटि यह थी कि उनकी नियुक्ति का मामला उच्च न्यायालय को सौंपने के स्थान पर उच्चन्यायालय के दो न्यायाधीशों को चयन समिति में लिगा गया था। हो सकता है मुख्य न्यायाधिपति भी उन्हीं न्यायाधीशों को भेजते। यह केवल प्रक्रिया सम्बन्धी त्रुटि है। मैं सभझता हूं कि हमारी एक त्रुटि यह भी है कि हमारा संविधान बहुत बड़ा है और उस में बहुत है अधिक उपबन्ध हैं।

आज के युग में यह बात बड़ी जरूरी है कि सामान्य व्यक्ति के साथ न्याय हो, और इस न्याय के लिए जिन लोगो को न्यायिक प्राधिकार प्रदान किया जाय, वे इस योग्य होने चाहिए कि इस कार्य को पूरी तरह कर सकें। इस सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय है कि न्यायधीशों की

कमी हो रही है। बहुत से अर्हता प्राप्त लोगों को न्यायाधीश के पद को स्वीकार करने के लिए अनुरोध किया गया था, पर बहुत से लोगों ने इस पेशकश को स्वीकार नही किया। अत: इस प्रकार की स्थिति निर्माण हो गयी तो अच्छे से अच्छे लक्ष्य को समक्ष रख कर भी कुछ न कुछ कार्यवाही तो करनी ही पड़ी। हो सकता है कि वह कार्यवाही कानून के बिलकुल अनुरूप न बैठती हो, तथापि कानून की भावना कायम रखने का प्रयास अवश्य किया गया था। मेरा इस बारे में निवेदन यह है कि हमें प्रक्रिया और सार के बीच भेद करना चाहिए। अमरीका में राष्ट्रपति लिंकन ने इसी भावना से ऐसा कार्य किया था जो कि संविधान के अनुरूप नहीं था।

आज का हमारा आधुनिक समाज समान न्याय और समान विकास तथा अवसरों पर चला रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात के लिए सन्तुष्ट करवाना होता है कि उसके साथ न्याय हो रहा है। मेरा निवेदन यह है कि कोई भी संविधान इस तरह नहीं बनाया जा सकता कि वह आने वाले वक्तों की हर जरूरत को पूरी कर देगा अत: उसकी व्यवस्था तो हालत के मुताबिक करनी होती है। और उसी दृष्टि से संशोधन किया जाना चाहिए। जब सामान्य व्यक्ति के कल्याण की बात और संविधान के उपबन्ध में टक्कर हो जाये तो व्यक्ति का कल्याण तो परम लक्ष्य की बात है। इन शब्दों से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : This is not an ordinary legislation. This is for amending the Constitution. One principle will have to be decided whether there will be the rule of law in this country or despotism will prevail. If you violate the the provision of the Constitution and go out of the way to do the judicial appointment. This is a serious matter of violating the rules.

First question which was before the Supreme Court related to the appointment of judges in Uttar Pradesh. There appointments were to be declared as legal. In this question the Supreme Court was of the opinion that it had no other powers but to forward the selected list prepared by the selection Committee. The reality in this matter is that Governor never ask for the advice of the High Court. He also does not act in conformity with the advice of the High Court.

The other question which was before the Supreme Court was whether the appointed judges come under the definition of Judicial officer. The Supreme court was of the opinion that this term judicial officer is very misleading. The common thing is that they are the officer of the judicial wing of the Government. Even if some of them work in the revenue side and some discharge their duties as magistrates. Supreme Court went on to State that presumably to secure the independance of the judiciary from the tax centre. At the time when the constitution was made in most of the States the magistracy was under the control of the executive. In this way Supreme Court gave the judgement, "We therefore constrive the expression "the Service" in clause (2) of the Article 233 as Judicial Service " This being the judgement of the Supreme Court, it is quite clear that the e [appointments were made in order to bring their own men. Efforts are being made by this legislative to get aside the judgement of the Supreme Court.

I am of the opinion that this Bill should not be passed hurriedly. This is a negation of democracy and all the principles for which our Constitution stands for. I propose that the copies of the judgement of the Supreme Court be distributed amongst the members so that they may minutely study it and ultimately give some fare consideration to the Bill. But it is really sad that Government are using their majority here to get this Bill pass. I warn the Government that they will have to explain this deed of theirs in the coming general elections in February.

Shri Shive Narain (Bansi) : I support this Bill. It is said that this matter is connected with the Uttra Pradesh, and I also represent Uttra Pradesh in the House. But this matter is not solely of Uttra Pradesh, it has concern with other States like Mysore, Rajasthan and others. Appointments were made under the article 233 by the Governor in the states. There was no dishonesty involued in this matter. Those appointed are capable people and possess required qualifications and they have put in seven years' service else.

We have great regards for the decisions of the Supreme Court. Keeping in view of this regard, this constitutional ammendment Bill has been introduced. My submission is that this Bill should be accepted by the House·

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) मैं विधि मंत्री के इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इस बारे में मैं अपने दो संशोधन प्रस्तुत करता हूं। एक संशोधन तो यह है कि संविधान के अनुच्छेद 88 के अन्तर्गत महा न्यायवादी को इस सभा में बुलाया जाय और सभा को विधेयक पर उनका क्या मत है यह बात बताई जानी चाहिये।

मेरा दूसरा संशोधन यह है कि विधेयक को उच्च न्यायालय की राय जानने की दृष्टि से राष्ट्रपति के पास प्रेषित किया जाना चाहिए। कहा गया है कि गत 15 वर्षों से इसी प्रकार चल रहा है। यह भी तथ्य है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद ही सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। मेरे विचार में हम लोगों में जो यह भावना है वह ठीक ही है कि यह सब उत्तर प्रदेश के काले कारनामों को छिपाने के लिए किया जा रहा है। मेरा आग्रह यह है कि संविधान में इस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) :— मैं इस बात से सहमत हूं कि संविधान में संशोधन करते समय हमें बड़ा सचेत रहना चाहिए। परन्तु लोकतंत्रों के इतिहास में ऐसा होता ही आया है। जिन देशों में लिखित संविधान है वहां इस प्रकार की कठिनाइयां प्रायः आ उपस्थित होती हैं। जब संविधान बनाया गया तो उस समय वह कठिनाइयां दिखाई न दीं, जब संविधान बन गया तो वह कठिनाईयां आ उपस्थित हुईं। ऐसी स्थिति में ही संविधान में संशोधन किये गये हैं। वर्तमान मामले में भी यदि 15 वर्ष के बाद उच्चतम न्यायालय का यह मत है कि संविधान के अन्तर्गत "नियुक्त" के अन्तर्गत "स्थानान्तरण" नही आता है और उससे बहुत बड़ी प्रशासनिक कठिनाई उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में संविधान को संशोधन करने के अतिरिक्त और रास्ता ही क्या रह जाता है।

यदि 15 वर्ष तक उच्च न्यायालय से परामर्श करने का अर्थ चयन समिति से परामर्श समझा जाये तथा चयन समिति के निष्कर्ष को उच्च न्यायालय द्वारा ही पर्याप्त परामर्श के रूप में प्रेषित किया जाये तो इसमें ऐसी कौन सी अनुचित बात है जो सरकार को उपेक्षा के लिये दोषारोपित करे? यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या से, जो सब पर लागू होती है। प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न होती है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि संविधान में संशोधन गम्भीरता से नहीं किया जा रहा है। प्रवर समिति को मामले को सौंपने, महान्यायवादी को बुलाने अथवा इसे उच्चतम न्यायालय को भेजने के सुझाव समस्या के हल मे देर करने के उद्देश्य से किये गये हैं। हम केवल पिछले निर्णयों, पिछली नियुक्तियों और हस्तांतरण संबंधी पिछले आदेशों का मान्यीकरण कर रहे हैं। हम संविधान में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं कर रहे हैं। जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध हो। यह बिल्कुल आवश्यक है कि संविधान में यह संशोधन किया जाए।

यह भी सुझाव दिया गया है कि महान्यायवादी को बुलाया जाय। परन्तु उच्चतम न्यायालय के निर्णय के होते हुए महान्यायवादी क्या करेंगे और मामले को उच्चतम न्यायालय को भेजने से क्या फल निकलेगा ? उच्चतम न्यायालय को जो प्रश्न भेजा जायेगा वह उन प्रश्नों जैसा होगा जिनका वह उत्तर दे चुका है। इसके अतिरिक्त यह भी पूछा गया है कि इस समस्या को हल करने और उन नियुक्तियों और निर्णयों का मान्यीकरण करने का कोई अन्य तरीका नहीं है ? हमने इस समस्या पर काफी गम्भीरता से विचार किया है। जब सरकार के किसी भी कार्य में कोई संवैधानिक त्रुटि होती है तो उस त्रुटि को संविधान में संशोधन किये बिना ठीक नहीं किया जा सकता। यदि हम उन त्रुटियों को संसद द्वारा पास किये गये किसी भी अन्य कानून द्वारा ठीक करना चाहें तो वह कानून ही अमान्य तथा सविधान के विरूद्ध हो जायेगा। जो दृष्टिकोण सरकार ने अपनाया है वह ठीक ही अपनाया है। अर्थात संविधान में संशोधन करना एकमात्र उपचार है। यदि हम संविधान में संशोधन करते तो इसका परिणाम यह होगा कि बहुत गड़बड़ी फैल जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री स० मो बनर्जी के प्रस्ताव सं० 6 और 7 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव . संख्या 6 और 7 मतदान के लिए रखे तथा अस्वीकृत हुए :

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The Motion was negetived

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री यशपाल सिंह का प्रस्ताव संख्या 4 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब मूल प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये रखता हूं प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ पक्ष में 281 विपक्ष में 2.

Lok Sabha Divided Ayes 281 Noes 2

यह प्रस्ताव सभा की समस्त संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार चर्चा करेंगे।

खंड 2. (अनुच्छेद 233 (क) रखा (जाना)

संशोधन किया गया

Amendment made

पृष्ट 2, पंक्ति 4 "twenty third (तेईस) के स्थान पर "twentieth" (बीसवां) रखा जाय (2)

पृष्ठ 2, पंक्ति 12 और 13

(2) "twenty third" (तेईस) के स्थान पर "twentieth"(बीसवां) रखा जाय (3)

(श्री गोपाल स्वरूप पाठक)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड 2, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 279, विपक्ष में 10, Ayes 279. Noes 10.

यह प्रस्ताव सभा की समस्त संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खंड 2 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clauses 2. as amended, was added to the Bill

खंड 1 (संक्षिप्त नाम)

संशोधन किया गया

Amandment made

पृष्ठ 1, पंक्ति 3 "twenty third" (तेइसवें) के स्थान पर "twentieth" (बीसवां) रखा जाय (1)

(श्री गोपाल स्वरूप पाठक)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :— "कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खंड 1 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया जाय।

Clauses 1. as amended, was added to the Bill

अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : श्रीमान् में प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

श्री नाथ पाई (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संविधान में इस प्रकार संशोधन किये जाने का विरोध करता हूं, श्री पाठक बार बार यह सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इस विधेयक का उद्देश्य उन न्यायाधीशों द्वारा किये गये निर्णयों को मान्यता देना है जिनकी नियुक्ति अवैध घोषित की गई है। सरकार इस समय सामान्य विधि नहीं बल्कि देश की सम्पूर्ण विधि

में परिवर्तन चाहती है । सभा को भ्रम में डालने के लिए इस इस प्रकार का तर्क दिया जा रहा है । 1912 में कलकत्ता उच्च-न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि नियुक्ति के बारे में चाहे कुछ हो परन्तु न्यायाधीश द्वारा किये गये कार्य अवैध नहीं हो जाते ।

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्लि) : इस संसद के तथा इस अधिवेशन के अन्तिम दिनों में इस प्रकार का विधेयक लाया जा रहा है । सरकार को अगली बार संविधान में संशोधन करने का अवसर नहीं मिलेगा क्योंकि उसको इतना बहुमत नहीं प्राप्त होगा । सरकार न्यायाधीशों की नियुक्तियां तथा 11 न्यायाधीशों के स्थानान्तरण को मान्यता देने के लिये संविधान में संशोधन करने का प्रयत्न कर रही है । संविधान में इस प्रकार संशोधन नहीं किया जाना चाहिये ।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki): The Minister has stated that he is introduceing this Bill out of respect for the Supreme Court. The Supreme Court has invalidated those appointments. It will be a contempt of the Court if the Government validates those appointments. The proposed amendment to the Constitution will have far-reaching consequences. It will be better to leave this matter to the new Parliament which will meet in the next few months.

श्री बेड़ (खारगोन) : कांग्रेस दल अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संविधान में फेर-बदल कर रही है । **(अन्तर्बाधायें)**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
THE LOK SABHA DIVIDED :

पक्ष में 274 ; विपक्ष में 26

Ayes: 274 ; Noes 26

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया गया । अतः विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

गोआ, दमन और दीव में मंत्रि-परिषद द्वारा त्याग-पत्र, विधान सभा का विघटन तथा तत्सम्बन्धी राष्ट्रपति का आदेश

RESIGNATION OF COUNCIL OF MINISTERS IN GOA, DAMAN AND DIU, DISSOLUTION OF LEGISLATIVE ASSEMBLY AND PRESIDENTIAL ORDER THERE ON

गृह-कार्य मन्त्रालय के उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : गोआ, दमन तथा दीव के संघ राज्य क्षेत्र में मंत्रि-परिषद ने त्याग-पत्र दिया है तथा राष्ट्रपति ने उनका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया है । राष्ट्रपति के संघ राज्य-क्षेत्रों का शासक अधिनियम, 1963 की धारा 51 के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया है जिसके द्वारा अधिनियम के कुछ उपबन्ध निलम्बित कर दिये गये हैं और

विधान सभा के विघटन सहित कुछ प्रासंगिक तथा आनुषंगिक उपबन्ध किये हैं। मैं आदेश की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान की स्नातकोत्तर संस्था, चण्डीगढ़ विधेयक

POST-GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, CHANDIGARH, BILL

स्वास्थ्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : डा० सुशीला नायर के ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान की स्नातकोत्तर संस्था, चण्डीगढ़ नामक संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने तथा उसको निगमित करने और तत्संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।

इस संस्था का उद्घाटन स्वर्गीय प्रधान मन्त्री ने 1 जुलाई, 1963 को किया था। पंजाब के पुनर्गठन से चण्डीगढ़ संघ राज्य-क्षेत्र बन गया है और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत यह संस्था केन्द्रीय सरकार के हाथों में आ गई है और यह केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व हो गया है। पुनर्गठन से पूर्व पंजाब सरकार ने यह प्रस्ताव रखा था कि इसे अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली की तरह एक सविहित निगम निकाय बनाया जाये और उसे अधिक स्वायत्तता दी जाये ताकि वह एक ऐसी शिक्षा संस्था बन सके जिसके काम में विभागीय प्रक्रियाओं द्वारा कोई रूकावट न पड़े। केन्द्रीय सरकार इससे सहमत हो गई है।

एक राष्ट्रीय संस्था बन जाने पर चण्डीगढ़ के संस्थान का उद्देश्य स्नातकोत्तर तथा अवर-स्नातक चिकित्सा शिक्षा की सभी शाखाओं का इस प्रकार विकास करना है कि उच्च स्तर की चिकित्सा शिक्षा दी जा सके ; स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी महत्वपूर्ण विषयों में कर्मचारियों से प्रशिक्षण देने के लिये उच्चतम शिक्षा के लिए एक ही स्थान में व्यवस्था की जा सके तथा देश के चिकित्सा शिक्षकों और विशेषज्ञों की आवश्यकता पूरी करने के स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के मामले में देश आत्म-निर्भर हो सके।

इस संस्थान के लिए कर्मचारियों की भर्ती पहले ही राष्ट्रीय आधार पर की गई है। उनमें देश के सभी भागों के व्यक्ति है और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए, योग्यतानुसार देश के सभी भागों के उम्मीदवारों के लिये दाखला खुला हुआ है।

This is an institute of all-India importance. Doctors of all-India fame have been appointed there. The research-work in respect of cancer is being done there. So to plead that it should have doctors only from Punjab, Hariyana and Jammu & Kashmir is not proper. It should function in the way in which All India Institute of Medical Sciences is working. It should be given more financial help. But I want to impress that the doctors whose names have been recommended by the Association of Doctors, should be included in the body for this Institute. Nomination should not be there. With these words I support this Bill.

डा० चन्द्रभान सिंह (बिलासपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं परन्तु साथ ही इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्वका संस्थान घोषित करने से

उद्देश्य की पूर्ति न होगी । आप इसे स्नातकोत्तर डाक्टरी शिक्षा का संस्थान घोषित कर सकते हैं । क्योंकि एक किसी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने से उसी स्तर के अन्य संस्थानों की महत्ता कम हो जाती है, दूसरे देशों में ऐसे स्थान एक या दो से अधिक नहीं होने चाहिए क्योंकि एक देश में जितने अधिक ऐसे संस्थान होंगे उतना ही उनका महत्व कम हो जायेगा ।

यह तर्क दिया जा रहा है कि इससे देश को अध्यापक प्राप्त होंगे । परन्तु दिल्ली के आल इण्डिया इंस्टीट्यूट से यह ध्येय किस हद तक पूरा हुआ है । वहां से स्नातकोत्तर एक भी अध्यापक नहीं प्राप्त हुआ हुआ है । वहां से केवल प्रदर्शन-कर्त्ता के स्तर के अध्यापक प्राप्त हुए हैं । ऐसी ही स्थति इस संस्थान की रहेगी । आज देश में लगभग 4000 अध्यापकों की कमी है और यह सोचना कि दिल्ली, चण्डीगढ़, हैदराबाद पांडीचेरी और मद्रास स्थानों पर स्थित चार-पाच संस्थानों से इस कमी को पूरा किया जा सकना, उचित प्रतीत नहीं होता । इस कमी को पूरा करने के लिये 89 कालेजों में से कम से कम 50 पुराने मेडिकल कालेजों का स्थान बढ़ानों ही यथेष्ट होगा ।

इन कालेजों में वेतनमानों में बहुत बड़ा अन्तर है । चण्डीगढ़ के कालेज में वेतनमान सबसे अधिक हैं । इसलिये एक कालेज से अध्यापक दूसरे कालेज की ओर दौड़ते हैं । अतः मेरा निवेदन है कि सभी कालेजो में वेतन मान समान होने चाहिए ।

प्रत्येक संस्थान के निकाय में निर्वाचित सदस्य होने चाहिये । वैसे तो मेरे विचार में ऐसे निकाय की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत में संसद के विधानानुसार एक भारतीय चिकित्सा परिषद बनी हुई है जो बड़े महत्वपूर्ण कार्य करती है । यह नियम, विनियम बनाती हैं, पाठ्यक्रम निर्धारित करती है, भाषण थियेटरों का निरीक्षण करती है, अन्य सुविधाओं का ध्यान रखती है और उपाधियों को मान्यता प्रदान करती है । इस परिषद के रहते हुए प्रत्येक संस्थान को पृथक से निकाय बनाना प्रक्रिया को जटिल बनाना है और दोनों में संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है । अतः इस निकाय में परिषद का प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिए ।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : मैं प्रतापसिंह कैरों के उत्साह एवं साहस की प्रसंशा करता हूं जिसके साथ उन्होंने इस संस्थान की स्थापना की थी । उन्होंने यह अनुभव किया कि इस क्षेत्र के लोगों को एक ऐसे संस्थान की अत्यधिक आवश्यकता है ।

[**श्री सोनावने पीठासीन हुए**
Shri Sonavane in the Chair]

मुझे प्रसन्नता है कि डा० तुलसीदास को इस संस्थान का पहला निदेशक नियुक्त किया गया और डा० संतोख सिंह, डा० बेरी और डा० चोटानी जैसे डाक्टरों ने इसके निर्माण में योग दिया ।

मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि इस संस्थान को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले रही है । यह व्यवस्था चण्डीगढ़ की नई स्थिति के अनुरुप भी है क्योकि चण्डीगढ़ अब केन्द्र-प्रशाशित प्रदेश है जिसमें स्थापित सभी संस्थानों का प्रबन्ध-केन्द्र द्वारा किया जाना चाहिये । मुझे यह भी बहुत अखरा कि इसके प्रबन्धकों में पंजाब-हरियाना और हिमाचल प्रदेश राज्यों का बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व न हो क्योंकि इन राज्यों ने इसके निर्माण में बहुत योगदान दिया है और इन राज्यों को जिनमें काश्मीर को भी मैं सम्मलित करता हूं, इससे अधिक लाभ होना चाहिये । यह एक त्रुटि है

और इसे दूर किया जाना चाहिए । ऐसा न हो कि इस संस्थान के संस्थापकों को कहीं इससे बाहर ढकेल दिया जाय ।

यद्यपि खण्ड 28 में यह व्यवस्था है कि पदावधि, वेतन और सेवा की शर्तों को इस प्रकार से बिना केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन लिये नहीं बदला जायेगा कि किसी व्यक्ति को उससे हानि हो । परन्तु इस व्यवस्था का अर्थ यह है कि केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से ऐसा किया जा सकता है । इससे कर्मचारियों को उनके वेतन, रोजगार और सेवा की शर्तों के बारे में संरक्षण प्राप्त नहीं होता । अतः सरकार को इस अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियां नहीं लेनी चाहिएं जिनके आधार पर नियमों को वहां के कर्मचारियों के अहित के लिये बदला जा सके । वैसे तो खण्ड 20 के अधीन सरकार को ये शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और उसमें यह व्यवस्था है कि पेंशन और भविष्य निधि के बारे में नियम बनाये जायेंगे । यदि नियमों में सरकार कुछ फेर-बदल भी करे तो वह सुधारात्मक होनी चाहिये जिससे वर्तमान कर्मचारियों को लाभ हो, क्योंकि इस संस्थान के सभी वर्तमान कर्मचारियों ने इस संस्थान के विकास के लिए अथक परिश्रम किया है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार के अधीन रहता हुआ यह संस्थान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और पूरे देश को इससे लाभ होगा ।

श्री व० ब० गान्धी (बम्बई मध्य दक्षिण) : सभापति महोदय, साधारण व्यक्ति की दृष्टि से मुझे तो इस विधेयक के समर्थन करने में कोई हानि प्रतीत नहीं होती । इस विधेयक का आशय यह है कि उक्त संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया जाय । यह संस्थान पहले से ही उचित ढंग से कार्य कर रहा है उसका स्तर भी काफी ऊंचा है और सब सुविधाएं वहां उपलब्ध है । मुदालियर समिति ने भी डाक्टरी शिक्षा के प्रश्न पर यह सुझाव दिया कि ऐसे क्षेत्रीय संस्थानों को स्थापित किया जाये । हम अक्सर यह सुनते हैं कि भारत में डाक्टरों की कमी है । इस कमी को पूरा करने के लिये ऐसी संस्थाओं की स्थापना ही सहायक सिद्ध हो सकती है जिससे अधिकाधिक डाक्टर प्रशिक्षण किये जा सके । इस क्षेत्र में हमारे सभी स्वास्थ्य मंत्रियों ने पर्याप्त प्रयत्न किया है जिसके परिणामस्वरूप भारत में डाक्टरी शिक्षा का काफी विस्तार हुआ है । इस प्रकार के संस्थानों के खुलने से, जहाँ उच्च डाक्टरी शिक्षा और अनुसंधान का कार्य होगा, हमारी इस मामले में विदेशों पर निर्भरता कम हो जायेगी । इससे हमें गर्व अनुभव करना चाहिये । साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हुं कि इस प्रकार की संस्थाओं को यथोचित स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये जिससे उसका उच्च स्तर बना रहे । प्रवन्धक समिति के सम्बन्ध मुझे कुछ भी नहीं कहना है ।

श्री दे० द० पुरी (कैथल) : अध्यक्ष महोदय, चण्डीगढ़ का यह डाक्टरी शिक्षा और अनुसंधान का स्नातकोत्तर सस्थान (पोस्ट-ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एजूकेशन तथा रिसर्च) इतिहास में सरदार प्रतापसिंह कैरो की सेवा-भावना और दूरदर्शिता के प्रतीक के रूप में अंकित होगा । मैं भी प्रोफेसर शर्मा के साथ मिलकर डा० सन्तोख सिंह, डा० चोटानी और अन्य कर्मचारियों को श्रद्धांजली अर्पित करता हूं ।

मुझे मन्त्री महोदय के भाषण पर बड़ा आश्चर्य हुआ है । उन्होंने यह तो बताया कि उक्त विधेयक से इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जायेगा परन्तु इस विषय में कुछ भी

प्रकाश नहीं डाला कि इस संस्थान की कार्य-पद्धति इससे किस प्रकार प्रभावित होगी या संस्थान को इसके बाद ऐसी क्या सुविधाएं मिल जायेंगी जो अब उसके पास नहीं है । यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि इसके बाद इस संस्थान की आर्थिक स्थिति क्या रहेगी ? मैं मंत्री महोदय से यह अपील करता हूं कि इस विषय पर वाद-विवाद का समापन करते हुए वे उपरोक्त बातों को स्पष्ट करेंगे ।

इस संस्थान के प्रबन्धक निकाय के बारे में भी चर्चा हुई । मैं यदि इस निकाय में पंजाब हरियाना, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा चण्डीगढ़ प्रशासन का प्रतिनिधित्व नहीं है तो यह कोई अच्छी बात नहीं है । इसका कोई जिक्र विधेयक में नहीं किया गया है । इसका अर्थ यह है कि यह केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर रहेगा । मेरे विचार से इन सबका प्रतिनिधित्व इसकी प्रशासन-व्यवस्था में होनी चाहिए ।

इस विधेयक में यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन को संस्थान के वर्तमान कर्मचारियों की सेवा-शर्तों, वेतन-मानों में अन्तर नहीं किया जायेगा । यह व्यवस्था आपत्तिजनक है । केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति अपने हाथ में नही लेनी चाहिये कि वह संस्थान के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में किसी प्रकार का अन्तर कर सके । सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि यदि इस प्रकार का कोई परिवर्तन होगा तो वह संस्थान के कर्मचारियों के हित में ही होगा । इस संस्थान के साथ जो परम्पराएं जुड़ी हैं, उनको बनाये रखना चाहिए ।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : मैं इस विधेयक का दिल से स्वागत करता हूं । मैं उस समय के पंजाब के मुख्य मन्त्री और उन लोगों की प्रसंशा करता हूं जिनका इस संस्थान के निर्माण में बड़ा योगदान रहा है । स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना समिति के सदस्य के नाते मैं भी इस संस्थान के निरीक्षण पर गया था । हमने यह देखा कि इस संस्थान ने अद्भुत प्रगति की है । यह बात मुझे बड़ी ही अच्छी लगी कि इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जा रहा है । 'राष्ट्रीय महत्ता' अपने में कुछ विचार समेटे हुए है । सबसे पहले तो यह कि इस संस्थान पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण होगा । दूसरे यह विधेयक इसलिये भी लाया गया है कि पंजाब का विभाजन हो गया है और चण्डीगढ़ एक केन्द्रीय प्रशाशित क्षेत्र बन गया है । तीसरे यह इस बात का भी द्योतक है कि अब इस संस्थान में प्रवेश पाने के लिये विद्यार्थी न केवल पंजाब और हरियाना से आयेंगे बल्कि पूरे भारत से आयेंगे । यह बात तो उचित है परन्तु साथ ही पंजाब हरियाना, हिमाचल प्रदेश को विद्यार्थियों के प्रवेश के सम्बन्ध में संरक्षण प्राप्त होना चाहिये ।

चिकित्सा विज्ञान में प्रगति बहुत धीमी गति से हो रही है । हमें भारत में इस प्रगति की गति को तीव्र बनाना है, परन्तु साथ ही सावधानी भी बरतनी है कि शिक्षा का स्तर न गिरने पाये ।

जहां तक वेतन मानों का सम्बन्ध है, उक्त संस्थान में वर्तमान व्यवस्था ही बनी रहनी चाहिये । यदि केन्द्रीय स्तर का संस्थान बना दिये जाने के बाद भी इसकी वर्तमान व्यवस्था में हेर-फेर किया गया तो यह निन्दाजनक ही होगा । इस संस्थान के खर्च के लिये यह व्यवस्था की गयी है कि पंजाब, हरियाना तथा अन्य स्थानों से इसके लिये अंशदान एकत्र किया जायेगा । केन्द्रीय सरकार से इस संस्थान को 60 से 70 लाख रुपये तक अनुदान देगा । मेरा यह निवेदन है कि यह एक नगण्य राशि है । कई विश्व-विद्यालयों में तो डाक्टरी शिक्षा पर 2 से 3 करोड़ रुपये तक खर्च किये जाते हैं तो फिर राष्ट्रीय महत्व के इस संस्थान के लिये केन्द्र की ओर से 60-70 लाख रुपये की राशि पर्याप्त नहीं है । अतः केन्द्रीय सरकार से इसे और अधिक आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये । यदि शिक्षा का स्तर बनाये रखना चाहते हैं तो वर्तमान स्तर को पूर्णयता बनाये

रखना चाहिये ।

प्रबन्धकों के चुनाव के सम्बन्ध में मेरी राय कुछ भिन्न है । यह कहना कि भारतीय चिकित्सा परिषद (मेडिकल कौन्सिल ऑफ इण्डिया) से इसके लिये व्यक्ति चुना जाना चाहिए, मेरे विचार में, ठीक नहीं है, क्योंकि एक नये संस्थान को बनाने के लिये योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और ऐसे व्यक्तियों को जहां से भी वे उपलब्ध हो, ले लेना उचित होगा । अतः नाम निर्देशन की प्रक्रिया का मैं स्वागत करता हूं । मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Shri Balmiki (Khurja) : Sir, I welcome this Bill.

Mr. Chairman : He may continue his speech next day.

अध्यापकों के वेतनक्रम*

Pay Scales of Teachers

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Mr. Speaker; some days ago the students' unrest was discussed in this House. The other side of the same coin is teachers who mould the destiny of students. The Govt. have developed a habit of giving assurances in sweet words.

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : ऐसे समय चर्चा या वाद-विवाद का क्या लाभ जबकि सभा में केवल चार-पांच ही सदस्य हों ।

सभापति महोदय : सभा में गणपूर्ति नहीं है । श्री प्रकाशवीर शास्त्री कृपया बैठ जायें । गणपूर्ति की घण्टी बजायी जा रही है । यह दूसरी बार भी बज चुकी है परन्तु गणपूर्ति अब भी नहीं है । अतः सभा स्थगित की जाती ।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 5 दिसम्बर 1966/14 अग्रहायण, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday December 5, 1966/14 Agrahayana 1888 (Saka).

---

*आधे घण्टे की चर्चा

*Pay Scales of Teachers.